



**पहली
FIRST**

**अनुदानों की पूरक मांगें
SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS**

**केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT**

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2011-2012

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

अगस्त August, 2011

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का पहला बैच, 2011-2012

INTRODUCTORY NOTE

Subject : First Batch of Supplementary Demands for Grants, 2011-2012.

वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के पहले बैच में 53 अनुदान शामिल हैं। ₹ 34,724.50 के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि ₹ 9,016.06 है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय के तकनीकी पूरक प्रस्तावों की राशि ₹ 25,707.84 है। इसके अलावा, 60 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए है जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

The first batch of Supplementary Demands for Grants for 2011-2012 includes 53 Grants. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹ 34,724.50 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 9,016.06 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 25,707.84 crore. Besides, token provision of ₹ 60 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. ₹ 9,016.06 के निवल नकद बहिर्वाह से सम्बद्ध प्रस्ताव के परिणामस्वरूप संशोधित अनुमान 2011-2012 में कुल अनुमानित व्यय में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं होगा, क्योंकि अन्य अनुदानों में समकक्ष समग्र बचतें होंगी।

2. Proposal involving net cash outgo of ₹ 9,016.06 crore will not have any adverse impact on the Fiscal Deficit projected in Budget Estimates 2011-2012, as there would be overall savings in other Grants.

3. निवल नगद व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नलिखित हैं

3. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
6. रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग	6 Department of Chemicals and Petrochemicals			
भोपाल गैस रिसाव काण्ड के पीड़ितों को अनुग्रहराशि प्रदान करने हेतु।	For providing ex-gratia to victims of Bhopal Gas Leak Disaster.	-	410.73	410.73
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19. संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
(क) (i) गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर (₹10 करोड़) और (ii) स्वामी विवेकानंद (₹5 करोड़) की 150वीं जयंती के समारोह के संबंध में व्यय की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु, (ख) कला एवं संस्कृति के तहत विभिन्न संस्थानों को अन्य सहायता अनुदान संबंधी व्यय (₹75.70 करोड़) के लिए।	For (a) Grants-in-aid General to meet the expenditure in connection with celebration of 150th Birth Anniversary of (i) Gurudev Rabindranath Tagore (₹ 10 crore), (ii) Swami Vivekananda (₹ 5 crore) and (b) other Grants-in-aid related expenditure (₹ 75.70 crore) to various Institutions under Art and Culture.	15.00	-	15.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
24. रक्षा सेवाएं-वायुसेना	24 Defence Services - Air Force			
एयर इण्डिया के वीवीआईपी यात्रा हेतु एअरक्राफ्ट की अनुरक्षण लागत के संबंध में भुगतान हेतु।	For making payment to Air India towards maintenance cost of aircrafts for VVIP travel.	-	85.56	85.56
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
31. विदेश मंत्रालय	31 Ministry of External Affairs			
निम्नलिखित हेतु (क) एअर इण्डिया वीवीआईपी की विदेश यात्राओं हेतु निजी एअर आपरेटरों/जहाज कम्पनियों और लिबिया में निष्क्रमण अभियानों से संबंधित बिलों का निपटान (₹141.50 करोड़), (ख) वीवीआईपी यात्रा के विशेष उद्देश्य हेतु एअर इण्डिया के एअर क्राफ्टों की अनुरक्षण लागत (₹57.04 करोड़), (ग) यमन से भारतीयों के निष्क्रमण अभियान से संबंधित व्यय (₹10 करोड़)	For (a) settlement of bills pertaining to Air India, Private Air Operators/Shippers for VVIP visits abroad and evacuation operations in Libya (₹ 141.50 crore), (b) maintenance cost of aircrafts of Air India exclusively meant for VVIP travel (₹ 57.04 crore), (c) expenditure towards the evacuation operations for Indians from			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
और (घ) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (₹121 करोड़), (ii) भारतीय वैश्विक मामले परिषद (₹12 करोड़), (iii) गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों हेतु अनुसंधान और सूचना प्रणाली सोसायटी (₹5.35 करोड़), (iv) भारतीय अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (0.10 करोड़), (v) चीनी अध्ययन संस्थान (0.56 करोड़), (vi) ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र चण्डीगढ़ (₹1 करोड़) और (vii) विदेश नीति अध्ययन संस्थान कलकत्ता विश्वविद्यालय (₹2 करोड़)।	Yemen (₹ 10 crore), and (d) Grants-in-aid General to (i) Indian Council of Cultural Relations (₹ 121 crore), (ii) Indian Council of World Affairs (₹ 12 crore), (iii) Society for Research and Information System for non-aligned and other Developing Countries (₹ 5.35 crore), (iv) Indian Council for Research on International Economic Relations (₹ 0.10 crore), (v) Institute of Chinese Studies (₹ 0.56 crore), (vi) Centre for Research in Rural and Industrial Development, Chandigarh (₹ 1 crore) and (vii) Institute of Foreign Policy Studies, University of Calcutta (₹ 2 crore).	-	198.54	198.54
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32. आर्थिक कार्य विभाग	32 Department of Economic Affairs			
स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान से संबंधित विभिन्न नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के व्यय की पूर्ति हेतु 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' को निधियों के अन्तरण के लिए।	For transfer of funds to the 'National Clean Energy Fund' for meeting expenditure to finance various new projects relating to research in clean energy.	1,066.46	-	1,066.46
40 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	40 Indian Audit and Accounts Department			
राज्यों में सिविल खातों के वाउचर स्तर कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के उन्नयन हेतु।	For upgradation of the Voucher level Computerisation system of Civil Accounts in the States.	-	25.00	25.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
53. मंत्रिमण्डल	53 Cabinet			
निम्नलिखित हेतु (क) एअर इण्डिया के लम्बित दावों का निपटान (₹235 करोड़) और (ख) एअर इण्डिया को वीवीआईपी यात्रा हेतु उपयोग किए गए एअरक्राफ्ट के अनुरक्षण के संबंध में भुगतान (₹199.64 करोड़)।	For (a) clearing pending claims of Air India (₹ 235 crore) and (b) payment to Air India (₹ 199.64 crore) towards maintenance of aircraft used for VVIP travel .	-	434.64	434.64
54. पुलिस	54 Police			
निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (क) राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान (₹650 करोड़) और (ख) पुलिस बल के आधुनिकीकरण करने की योजना के तहत आस्तियों (₹100 करोड़) के सृजन हेतु अनुदान और (ग) भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए सहायता (₹45 करोड़)।	For providing (a) Grants-in-aid General to State Governments (₹ 650 crore) and (b) Grants for creation of Capital Assets (₹ 100 crore) under the scheme of Modernisation of Police Force and (c) assistance for India Reserve Battalion (₹ 45 crore).	-	500.70	500.70
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
66. खान मंत्रालय	66 Ministry of Mines			
समुद्रगामी अनुसंधान पोत के अधिग्रहण हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure of Geological Survey of India for acquisition of Ocean-Going Research Vessel.	68.87	-	68.87
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
82. ग्रामीण विकास विभाग	82 Department of Rural Development			
बीपीएल सर्वेक्षण के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	For meeting additional requirement for the BPL Survey.	2,300.00	-	2,300.00
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
91. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	91 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (क) प्रति सांसद की वार्षिक आवंटन ₹2 करोड़ से बढ़कर ₹5 करोड़ होने के कारण 'सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना' (₹2370 करोड़) योजना के तहत	For additional expenditure (a) under the scheme 'Member of Parliament Local Area			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
तथा (ख) परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए सशक्तीकरण, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन योजना के तहत राज्य/जिला अधिकारियों को क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण, स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से मॉनिटरिंग हेतु (₹5 करोड़)।	Development Scheme' (₹ 2,370 crore) due to the increase in the annual allocation from ₹ 2 crore to ₹ 5 crore per Member of Parliament, and (b) for monitoring through independent agencies, capacity building/training to State/District Officials (₹ 5 crore) under the Scheme 'Strengthening, Monitoring and Evaluation for Projects and Programmes'.	2,375.00	-	2,375.00
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURES)			
96 अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंदरगाह प्रबन्धन बोर्ड के संस्थापन संबंधी व्यय हेतु।	96 Andaman and Nicobar Islands For establishment related expenditure of Port Management Board.	-	35.56	35.56
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
105 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायकों के मानदेय में वृद्धि संबंधी अतिरिक्त व्यय कर पूर्ति हेतु एकीकृत बाल विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	105 Ministry of Women and Child Development For Grants-in-aid General under the scheme Integrated Child Development Scheme to meet the additional expenditure on enhanced rate of honorarium to Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers.	1,500.00	-	1500.00
जोड़ नकद व्यय	Total Cash Outgo	7,325.33	1,690.73	9,016.06
4. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में ₹ 25,707.84 करोड़ के तकनीकी पूरक अनुदान/विनियोग हेतु प्रस्ताव शामिल हैं जिनकी प्रतिपूर्ति मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा की जाती है। मदें निम्नलिखित हैं :	4. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 25,707.84 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:			
तकनीकी पूरक अनुदानों की मांगें	Technical Supplementary Demands for grants			
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
6. रसायन और पेट्रोसायन विभाग हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड सन्दर्भ में ऋण (₹ 9.09 करोड़) और ब्याज (₹ 0.39 करोड़) हेतु आवश्यक लेखा समायोजन करने हेतु।	6 Department of Chemicals and Petrochemicals For carrying out necessary accounting adjustment for waiver of loan (₹ 9.09 crore) and interest (₹ 0.39 crore) in respect of Hindustan Insecticides Limited.	9.48	-	9.48
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण दिल्ली द्वारा दिए गए क्षतिपूर्ति निर्णय से उत्पन्न व्यय की पूर्ति हेतु।	11 Department of Commerce For meeting expenditure arising out of a compensation award given by Motor Accident Claims Tribunal, Delhi.	-	0.02	0.02
12 औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग न्यायालय आदेश की अनुपालना में निवेश सब्सिडी (पुरानी) योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	12 Department of Industrial Policy and Promotion For meeting additional expenditure under the Investment Subsidy (Old) Scheme in compliance of Court Order.	0.09	-	0.09

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भित्त Non Plan	जोड़ Total
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13. डाक विभाग मनमाड (महाराष्ट्र) में स्टाफ क्वार्टर्स निर्माण के संबंध में भुगतान, मुम्बई उच्च-न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न भुगतान हेतु।	13 Department of Posts For making payment towards construction of Staff quarters at Manmad (Maharashtra) arising out of Judgement given by High Court, Mumbai.	0.02	-	0.02
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
16. उपभोक्ता मामले विभाग उपभोक्ता कल्याण निधि के तहत परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	16 Department of Consumer Affairs For meeting additional expenditure for the Projects under Consumer Welfare Fund.	-	2.00	2.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
22. रक्षा सेवाएं-थलसेना न्यायालय आदेशों से उत्पन्न व्यय की पूर्ति हेतु।	22 Defence Services - Army For meeting expenditure arising out of Court orders.	-	12.00	12.00
27. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परियोजना न्यायालय आदेशों से उत्पन्न व्यय की पूर्ति हेतु।	27 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure arising out of Court orders.	-	3.00	3.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32 आर्थिक कार्य विभाग (क) निम्नलिखित हेतु (i) 1993 में कजाखस्तान सरकार को दिए गए ऋण श्रृंखला के सन्दर्भ में बकाया (₹ 14.34 करोड़) माफी, बकाया ऋणों पर बकाया ब्याज (₹ 20.58 करोड़) माफी (ii) 1994 में उज्बेकिस्तान सरकार को दी गई ऋण श्रृंखला की एवज में बकाया ब्याज (₹ 30.08 लाख) माफ, बकाया ऋणों संबंधी दायित्व ब्याज (₹ 9.42 लाख), (iii) मद्रास स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स को विशेष सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 10 करोड़) और (iv) युरेशियन ग्रुप को मनीलॉड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण से लड़ने के लिए अंशदान (₹ 0.32 करोड़)	32 Department of Economic Affairs (a) For (i) waiving of outstanding dues (₹ 14.34 crore), waiving of interest outstanding (₹ 20.58 crore) on loans outstanding, in respect of line of credit extended to Government of Kazakhstan in 1993, (ii) waiving of interest outstanding (₹ 30.08 lakh), waiving of penal interest (₹ 9.42 lakh) on loans outstanding against the line of credit extended to Government of Uzbekistan in 1994, (iii) providing special Grants-in-aid to Madras School of Economics (₹ 10 crore) and (iv) contribution to Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorism Financing (₹ 0.32 crore).	-	45.32	45.32
(ख) अन्तराष्ट्रीय मुद्राकोष को अनुरक्षण मूल्य के संबंध में भुगतान हेतु।	(b) For making payment towards Maintenance of Value (MoV) to International Monetary Fund (IMF).	-	1,609.79	1,609.79
(ग) ऋण प्राप्त करने की नई व्यवस्थाओं के तहत आईएमएफ को ऋण मुहैया कराने हेतु।	(c) For providing loans to IMF under New Arrangements to Borrow.	-	9,003.04	9,003.04
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण (क) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु। (ख) राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम हेतु।	35 Transfers to State and Union Territory Governments (a) For Additional Central Assistance for Externally Aided Project. (b) For Ways and Means Advance to State Governments.	9,000.00	-	9,000.00
38 व्यय विभाग निम्नलिखित के अतिरिक्त की पूर्ति हेतु (क) 2006 से पूर्व के पेंशनधारकों के मामलों को आसान बनाने हेतु विशेष प्रकोष्ठ की वृद्धि हेतु केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय का संस्थापन संबंधी व्यय (₹ 0.32 करोड़), (ख) ई-स्करोल परियोजना हेतु सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर	38 Department of Expenditure For meeting additional (a) establishment related expenditure (₹ 0.32 crore) of Central Pension Accounting Office for augmentation of Special Cell for facilitating pre-2006 Pensioners' cases, (b) expenditure	-	3,000.00	3,000.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
और जन शक्ति की अधिप्राप्ति हेतु व्यय (₹1.13 करोड़)	for procurement of software, hardware and manpower for e-scroll project (₹ 1.13 crore).	-	0.90	0.90
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय निम्नलिखित हेतु (क) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यम एवं प्रबंधन संस्थान को संस्थान सशक्तीकरण सहायता योजना पर व्यय (₹80 करोड़) तथा (ख) भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता (₹15.50 करोड़)।	45 Ministry of Food Processing Industries For (a) expenditure on the scheme for Strengthening of Institution of Assistance to National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (₹ 80 crore), and (b) assistance to Indian Institute of Crop Processing Technology (₹ 15.50 crore).	95.50	-	95.50
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
50 भारी उद्योग विभाग निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान के भुगतान हेतु (क) भारत यंत्र निगम लिमिटेड (₹0.32 करोड़) को कर्मचारियों को वीआरएस राशि के रूप में से सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान हेतु, और (ख) व्यय की पूर्ति हेतु ऑटोमोबाइल और सम्बद्ध उद्योग विकास परिषद को (₹4.48 करोड़)।	50 Department of Heavy Industry For payment of Grants-in-aid General to (a) Bharat Yantra Nigam Limited (₹ 0.32 crore) for payment of retirement benefit as VRS amount to employees, and (b) Development Council for Automobile and Allied Industries to meet the expenditure (₹ 4.84 crore).	-	0.32	0.32
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
54 पुलिस (क) निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) व्यावसायिक सेवाएं (₹32.69 करोड़) (ii) राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) की सूचना प्रौद्योगिकी (मशीनरी और उपकरण) (₹104.22 करोड़)।	54 Police (a) For meeting additional expenditure under (i) Professional Services (₹ 32.69 crore), (ii) Information Technology [Machinery and Equipment] (₹ 104.22 crore) of National Intelligence Grid (NATGRID).	136.91	-	136.91
(ख) निम्नलिखित हेतु (i) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) 286.03 करोड़, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) (₹140 करोड़), भारत-तिब्बत सीमा, पुलिस (आईटीबीपी) (₹63.90 करोड़), दिल्ली पुलिस (₹40.13 करोड़), केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल (₹0.20 करोड़), और असम राइफल्स (एआर) (₹90 करोड़), (ii) घरेलू यात्रा व्यय (₹0.70 करोड़) विदेशी यात्रा व्यय (₹0.30 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹1.30 करोड़) के तहत नेटग्रिड के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (iii) पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य पुलिस संगठन को सहायता प्रदान करना (₹250 करोड़)।	(b) For (i) meeting additional expenditure under Arms and Ammunition (General) of Border Security Force (BSF) (₹ 286.03 crore), Central Reserve Police Force (CRPF) (₹ 140 crore), Indo-Tibetan Border Police (ITBP) (₹ 63.90 crore), Delhi Police (₹ 40.13 crore), Central Detective Training School (₹ 0.20 crore) and Assam Rifles (AR) (₹ 90 crore), (ii) meeting additional expenditure of NATGRID under Domestic Travel Expenses (₹ 0.70 crore), Foreign Travel Expenses (₹ 0.30 crore) and Office Expenses (₹ 1.30 crore), (iii) providing assistance to State Police Organisations under the scheme of Modernisation of Police Force (₹ 250 crore).	-	872.56	872.56
(ग) निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) राज्य सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान (₹650 करोड़) और (ii) पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत पूंजी आस्तियों (₹100 करोड़) के सृजन हेतु अनुदान तथा (iii) भारत रिजर्व बटालियन के लिए सहायता (₹45 करोड़)।	(c) For providing (i) Grants-in-aid General to State Governments (₹ 650 crore) and (ii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 100 crore) under the scheme of Modernisation of Police Force and (iii) assistance for India Reserve Battalion (₹ 45 crore).	-	249.30	249.30

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
60 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	60 Ministry of Information and Broadcasting			
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सन्दर्भ में इक्विटी में बकाया ब्याज (₹8.63 करोड़) परिवर्तन हेतु।	For conversion of outstanding interest (₹ 8.63 crore) into equity in respect of National Film Development Corporation.	8.62	-	8.62
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
73 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	73 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा जारी बोनस शेयरों में अतिरिक्त इक्विटी निवेश हेतु।	For additional equity investment in the bonus shares issued by Oil and Natural Gas Corporation Limited.	-	1,585.74	1,585.74
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
75 विद्युत मंत्रालय	75 Ministry of Power			
केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के संस्थापना संबंधी व्यय हेतु।	For establishment related expenditure of Central Electricity Regulatory Commission.	-	31.48	31.48
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
93 कपड़ा मंत्रालय	93 Ministry of Textiles			
ब्रिटिश भारत निगम को अनुमोदित पुनरुद्धार योजना के अनुसार बकाया वेतन/मजदूरी और सांविधिक देय के संबंध में ऋण प्रदान करने हेतु।	For providing loan to British India Corporation towards outstanding salaries/wages and statutory dues as per approved revival plan.	-	18.00	18.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
101 शहरी विकास विभाग	101 Department of Urban Development			
पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम योजना के लिए राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने हेतु।	For providing loans and advances to State Governments for the scheme of North Eastern Region Urban Development Programme.	20.20	-	20.20
103 स्टेशनरी और प्रिंटिंग	103 Stationery and Printing			
निम्नलिखित पर अतिरिक्त व्यय (क) मोटर वाहन (₹0.10 करोड़) और (ख) मशीनरी और उपस्कर (₹3.45 करोड़)।	For additional expenditure on (a) Motor Vehicle (₹ 0.10 crore) and (b) Machinery and Equipment (₹ 3.45 crore).	-	3.55	3.55
जोड़ तकनीकी	Total Technical	9,270.82	16,437.02	25,707.84
5. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में ₹1 लाख प्रत्येक का पूरक अनुदान लिया जाना भी प्रस्तावित है, उनके समाने दर्शाए गए व्यय की पूर्ति संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों, जैसा भी मामला है, के पुनर्विनियोग से की जाएगी।	5. Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by re-appropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
अनुदानों की सांकेतिक पूरक मांगें	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
1 कृषि एवं सहकारिता विभाग	1 Department of Agriculture and Cooperation			
(क) (i) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (₹125 करोड़), (ii) राष्ट्रीय जैविक कृषि संवर्धन परियोजना (₹1 करोड़), (iii) राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य उर्वरता प्रबंधन परियोजना (₹1.50 करोड़), (iv) राष्ट्रीय	(a) For Grants-in-aid General to Tribal Areas Sub-Plan under the schemes (i) National Horticulture Mission (₹ 125 crore), (ii) National Project on			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
बाँस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास आयोग (₹ 6 करोड़), और (v) एकीकृत तिलहन, ऑयल पाम दलहन और मक्का विकास (₹ 7.50 करोड़) योजनाओं के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	promotion of Organic Farming (₹ 1 crore), (iii) National Project on Management of Soil Health & Fertility (₹ 1.50 crore), (iv) National Mission on Bamboo Technology and Trade Development (₹ 6 crore), and (v) Integrated Oilseeds, Oil Palm Pulses and Maize Development (₹ 7.50 crore).	141.00	-	141.00
(ख) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान (i) इन स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को (1) कृषि आर्थिक नीति और विकास में अध्ययन (₹ 6 करोड़), (2) कृषि सांख्यिकी में सुधार (₹ 7 करोड़), (3) सहकारी समितियों के विकास हेतु राष्ट्रीय राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता (₹ 3 करोड़), (4) सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण (₹ 3 करोड़), (5) बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण (₹ 1.68 करोड़) और (ii) बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं के विकास और सुदृढीकरण की जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना स्कीम के तहत (₹ 3.48 करोड़)।	(b) For Grants-in-aid General (i) to North Eastern States under the schemes (1) Studies in Agricultural Economic Policy and Development (₹ 6 crore), (2) Improvement of Agricultural Statistics (₹ 7 crore), (3) Assistance to National Cooperative Development Corporation for development of Cooperatives (₹ 3 crore), (4) Cooperative Education and Training (₹ 3 crore), (5) Development and strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds (₹ 1.68 crore), and (ii) under Tribal Area Sub-Plan scheme of Development and strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds (₹ 3.48 crore).	24.16	-	24.16
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए कृषि अनुसंधान परिसर को व्यय सम्बन्धी सहायता अनुदान	For Grants-in-aid related expenditure of Indian Council for Agricultural Research under Agricultural Research and Education.	71.23	15.00	86.23
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4 परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को सामान्य सहायता अनुदान के संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General to Bhopal Memorial Hospital and Research Centre.	-	50.00	50.00
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9 नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
एयर इंडिया के विभिन्न औद्योगिक सम्बन्धों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए नवगठित धर्माधिकारी समिति की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting the establishment related expenditure of newly constituted Dharmadhikari Committee to resolve the various industrial relation issues of Air India.	-	0.32	0.32
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा राज्य सरकारों को बैंक एंड सहायता प्रदान करने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट पर मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting expenditure for implementation of Mission Mode Project on e-Procurement to provide back end support to State Governments by Directorate General of Supplies and Disposals.	36.72	-	36.72

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) काजू उद्योग के आधुनिकीकरण एवं विविधीकरण योजना के तहत लम्बित देयताओं के भुगतान के लिए काजू निर्यात संवर्धन परिषद् को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid General to Cashew Export Promotion Council for making payment of pending liabilities under the scheme 'Modernisation and Diversification of Cashew Industry'.	4.02	-	4.02
(ग) (i) कॉफी बोर्ड (₹ 32 करोड़), (ii) रबड़ बोर्ड (₹ 30 करोड़), (iii) मसाला बोर्ड (₹ 8 करोड़), और चाय बोर्ड (₹ 29 करोड़) संबंधी वेतन और अन्य स्थापना संबंधी व्यय के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(c) For providing additional Grants-in-aid towards salaries and other establishment related expenditure in respect of (i) Coffee Board (₹ 32 crore), (ii) Rubber Board (₹ 30 crore), (iii) Spices Board (₹ 8 crore), and Tea Board (₹ 29 crore).	-	99.00	99.00
12 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना हेतु ₹18.05 करोड़ सहित "भारतीय चर्म विकास" कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	For Grants-in-aid General under 'Indian Leather Development' programme, including ₹ 18.05 crore for Special Component Plan for Scheduled Caste.	41.04	-	41.04
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19. संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
(क) कला एवं संस्कृति के तहत विभिन्न संस्थानों को सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(a) For Grants-in-aid related expenditure to various Institutions under Art and Culture.	-	32.06	32.06
(ख) राज्य सरकारों को निम्नलिखित के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार (₹5 करोड़ रुपए) और (ii) गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के स्मरणोत्सव हेतु आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम (₹5 करोड़ रुपए)	(b) For Grants-in-aid General to State Governments towards (i) National Archives of India (₹ 5 crore) and (ii) programmes to be organised to commemorate 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore (₹ 5 crore).	10.00	-	10.00
(ग) भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को सामान्य सहायता अनुदान।	(c) For Grants-in-aid General to Archaeological Survey of India.	-	1.00	1.00
(घ) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को सामान्य सहायता अनुदान।	(d) For Grants-in-aid General to National Archives of India.	0.50	-	0.50
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
23. रक्षा सेवाएं नौसेना	23 Defence Services - Navy			
कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेन्टर फॉर एप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स (₹0.53 करोड़) की सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	For providing Grants-in-aid to Centre for Techno Strategic Studies at Cochin University for Science and Technology (₹ 0.10 crore) and Centre for Applied Research in Electronics (₹ 0.53 crore) at Indian Institute of Technology, Delhi.	-	0.63	0.63
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
30. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	30 Ministry of Environment and Forests			
अनुसंधान परियोजनाओं के लिए संरक्षण कार्यक्रम के तहत मैंग्रोव पारिस्थितिकी-तंत्र को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	For Grants-in-aid General to Mangroves Eco-Systems under Conservation Programme for Research Projects.	1.06	-	1.06
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32. आर्थिक कार्य विभाग	32 Department of Economic Affairs			
वित्तीय सेवा विधायी सुधार आयोग की स्थापना के संबंध में स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting establishment related expenditure in connection with setting up of Financial Services Legislative Reforms Commission.	-	4.00	4.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
33. वित्तीय सेवा विभाग राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में इक्विटी निवेश हेतु।	33 Department of Financial Services For equity investment in the National Bank for Agriculture and Rural Development.	1,000.00	-	1,000.00
41. राजस्व विभाग साइप्रस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर और मॉरिशस में आयकर की विदेशी इकाईयों की स्थापना के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु।	41 Department of Revenue For meeting expenditure towards setting up Income Tax Overseas Units in Cyprus, France, Germany, Japan, Netherland, United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, Singapore and Mauritius.	-	17.20	17.20
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (क) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के तहत विभिन्न योजनाओं के संबंध में सहायता अनुदान हेतु। (ख) परिवार कल्याण के तहत व्यय हेतु। (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वायत्त निकायों को वेतन संबंधी सहायता अनुदान हेतु। (घ) अनुसूचित जातियों को विशेष संघटक योजना के संबंध में संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सामान्य सहायता अनुदान। (ङ) निम्नलिखित के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु (i) केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के तहत विभिन्न प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु आवश्यक उपकरणों की अधिप्राप्ति (₹24.75 करोड़ रुपए), और (ii) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में प्रमुख निर्माण कार्य (₹25 करोड़)।	46 Department of Health and Family Welfare (a) For Grants-in-aid towards various schemes under Medical and Public Health. (b) For expenditure under Family Welfare. (c) For Grants-in-aid Salaries to autonomous bodies in the North Eastern Region. (d) For Grants-in-aid General to Union Territory Governments on Special Component Plan for Scheduled Castes. (e) For meeting expenditure on (i) procurement of equipments required for upgradation of various laboratories under Central Drugs Standards Control Organisation (₹ 24.75 crore), and (ii) major works in Central Research Institute, Kasauli (₹ 25 crore)	384.83 8.00 202.40 3.32 49.75	977.16 24.27 - - -	1361.99 32.27 202.40 3.32 49.75
47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होमियोपैथी (आयुष) (क) चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के तहत विभिन्न योजनाओं के संबंध में सहायता अनुदान हेतु। (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में स्वायत्त संगठनों को वेतन संबंधी सहायता अनुदान हेतु।	47 Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) (a) For Grants-in-aid Salaries to various autonomous organisations under Medical and Public Health. (b) For Grants-in-aid Salaries to autonomous organisations in North-Eastern Areas.	60.71 0.68	136.86 -	197.57 0.68
48 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को वेतन संबंधी सहायता अनुदान हेतु।	48 Department of Health Research For Grants-in-aid Salaries to Indian Council of Medical Research, New Delhi.	97.70	165.38	263.08
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
52. गृह मंत्रालय निम्नलिखित के तहत संस्थापना संबंधी व्यय हेतु (क) नागरिक सुरक्षा में पुनःसुधार (₹0.06 करोड़) और (ख) अग्नि और आपातकालीन सेवाओं का सुदृढीकरण (₹0.25 करोड़)।	52 Ministry of Home Affairs For establishment related expenditure under (a) Revamping of Civil Defence (₹ 0.06 crore) and (b) Strengthening of Fire and Emergency Services (₹ 0.25 crore).	0.31	-	0.31
54. पुलिस (क) निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) बीएसएफ की सीमा चौकी (₹10 करोड़), आईटीबीपी (₹13.35 करोड़), सशस्त्र सीमा बल (₹2 करोड़), एआर (₹5 करोड़) और (ii) बीएसएफ का कार्यालय भवन (₹119 करोड़), एसएसपी (₹52 करोड़), नेटग्रिड (₹25.10 करोड़), एआर (₹36 करोड़),	54 Police (a) For meeting additional expenditure under (i) Border Out Posts of BSF (₹ 10 crore), ITBP (₹ 13.35 crore), Sashastra Seema Bal (SSB) (₹ 2 crore), AR (₹ 5 crore), and (ii) Office Building of BSF (₹ 119 crore), SSB (₹ 52 crore), NATGRID (₹ 25.10			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (₹20 करोड़) और सीआरपीएफ (₹147.90 करोड़)।	crore), AR (₹ 36 crore), National Police Academy (₹ 20 crore) and CRPF (₹ 147.90 crore).	430.35	-	430.35
(ख) सीआरपीएफ की मशीनरी और उपस्कर, आसूचना ब्यूरो, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, आईटीबीपी और बीएसएफ के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure under Machinery and Equipment of CRPF, Intelligence Bureau, National Security Guard, Central Industrial Security Force, ITBP and BSF.	-	240.00	240.00
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
57. आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	57 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation			
भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकीसंवर्धन परिषद् को वेतन संबंधी सहायता अनुदान हेतु।	For Grants-in-aid Salaries to Building Material and Technology Promotion Council.	-	3.20	3.20
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
58. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	58 Department of School Education and Literacy			
(क) 'माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना' स्कीम के तहत और अधिक बालिकाओं को और संबंधित प्रशासनिक व्यय को शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(a) For Grants-in-aid General under the scheme 'National Scheme for Incentive to Girls for Secondary Education' for meeting additional requirement under Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan to cover more girls and related administrative expenses.	28.00	-	28.00
(ख) 'माध्यमिक शिक्षा हेतु बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना' स्कीम के तहत और अधिक बालिकाओं को और संबंधित प्रशासनिक व्यय को शामिल करने के लिए अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए।	(b) For Grants-in-aid General under the scheme 'National Scheme for Incentive to Girls for Secondary Education' for meeting additional requirement under Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan in North-Eastern Areas to cover more girls.	3.00	-	3.00
59. उच्च शिक्षा विभाग	59 Department of Higher Education			
(क) 'नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों की स्थापना' योजना के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए।	(a) For Grants for creation of capital assets for the scheme 'Setting up of New Indian Institutes of Management'.	35.63	-	35.63
(ख) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान योजना के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए।	(b) For Grants for creation of capital assets for the scheme 'National Institutes of Technology'.	54.61	-	54.61
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
60 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	60 Ministry of Information and Broadcasting			
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के संबंध में बकाया ऋण के परिवर्तन हेतु।	For conversion of outstanding loan into equity in respect of National Film Development Corporation.	19.77	-	19.77
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
61. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	61 Ministry of Labour and Employment			
(क) 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' योजना के तहत अतिरिक्त व्यय हेतु (₹17.84 करोड़), और (ख) केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार एवं	For (a) additional expenditure under the scheme 'Rashtriya Swasthya Bima Yojana' (₹ 17.84 crore), and (b) Grants-in-aid General to Union Territories (without			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
परिवर्तन हेतु 'विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना' योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल रहित) को सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹1.20 करोड़)।	legislature) under the scheme 'Externally Aided Project for Reforms and Improvement in Vocational Training Services rendered by Central and State Governments' (₹ 1.20 crore).	19.04	-	19.04
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
72 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	72 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on conduct of examinations by Staff Selection Commission.	-	12.00	12.00
(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए भवन के रखरखाव संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on maintenance of the new building of Central Bureau of Investigation.	-	3.86	3.86
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
74 योजना मंत्रालय	74 Ministry of Planning			
निम्नलिखित के लिए (क) प्रधानमंत्री के सलाहकार के कार्यालय के तहत ई-पंचायत, उद्योग समूह आदि के संबंध में प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹1.10 करोड़) (ii) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.90 करोड़) के रूप में व्यय और (ख) प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद में प्रधानमंत्री के सलाहकार के नव सृजित कार्यालय की स्थापना संबंधी व्यय (₹ 6 करोड़)।	For (a) expenditure under the office of Adviser to Prime Minister for the pilot projects on e-Panchayat, industry clusters, etc as (i) Grants-in-aid General (₹ 1.10 crore), (ii) Grants for creation of capital assets (₹ 1.90 crore), and (b) establishment related expenditure for the newly created Office of the Adviser to P.M. in Prime Minister's National Council for Skill Development (₹ 6 crore).	9.00	-	9.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
75 विद्युत मंत्रालय	75 Ministry of Power			
निम्नलिखित के लिए (क) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरु के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹0.0033 करोड़), (ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को विश्व बैंक अनुदान से ऊर्जा दक्षता वित्त पोषण का प्रचालन (₹0.0033 करोड़), और (ग) कम्प्यूटरों की खरीद और मरम्मत (₹0.0034 करोड़)।	For (a) providing Grants for creation of capital assets for Central Power Research Institute, Bengaluru (₹ 0.0033 crore), (b) operationalisation of the financing energy efficiency from World Bank Grant to Bureau of Energy Efficiency (₹ 0.0033 crore), and (c) purchase and repair of computers (₹ 0.0034 crore).	0.01	-	0.01
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
82 ग्रामीण विकास विभाग	82 Department of Rural Development			
(क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम के लिए डीआरडीए को अतिरिक्त आवश्यकता (₹150 करोड़) की पूर्ति के लिए प्रावधान के संवर्धन हेतु (ख) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को निधियां (₹60 करोड़) जारी करने के लिए और (ग) जम्मू एवं कश्मीर के लिए एक नई योजना दक्षता अधिकारिता और रोजगार योजना के लिए निधियां (₹27.49 करोड़) की आवश्यकता के लिए।	For (a) augmenting the provision to meet the additional requirement (₹ 150 crore) to DRDA for the Special Programme for Rural Development under Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana, (b) release of funds (₹ 60 crore) to the implementing agencies under the World Bank Assisted Projects under National Rural Livelihood Mission, and (c) requirement of funds (₹ 27.49 crore) for a new scheme 'Skill Empowerment and Employment Scheme' for Jammu and Kashmir.	237.49	-	237.49

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
85 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	85 Department of Science and Technology			
(क) अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(a) For Grants related expenditure under 'Other Scientific Research'.	113.25	-	113.25
(ख) देहरादून और हैदराबाद में दो केन्द्रीय विद्यालयों के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग को वेतन संबंधी सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid-Salaries to Survey of India for two Kendriya Vidyalayas at Dehradun and Hyderabad.	-	4.88	4.88
87 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	87 Department of Biotechnology			
राष्ट्रीय अनुसंधान विकास विभाग को सामान्य सहायता अनुदान	For Grants-in-aid General to National Research Development Corporation.	1.00	-	1.00
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
90 अंतरिक्ष विभाग	90 Department of Space			
(क) इनसैट-3डी उपग्रह (₹375 करोड़) और (ख) जिसेट 7 उपग्रह (₹375 करोड़) के लिए प्राप्त प्रक्षेपण सेवाओं संबंधी व्यय के लिए।	For incurring expenditure towards procured launch services for (a) INSAT-3D Satellite (₹ 375 crore) and (b) GSAT-7 Satellite (₹ 375 crore).	750.00	-	750.00
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
93 कपड़ा मंत्रालय	93 Ministry of Textiles			
(क) ग्रामीण एवं लघु उद्योगों के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेतु।	(a) For providing additional grants for various schemes under Village and Small Industries.	136.16	-	136.16
(ख) लघु उद्योगों के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए अतिरिक्त अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For providing additional grants for various schemes under Small Industries.	225.70	-	225.70
(ग) निम्नलिखित के लिए (i) एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम हेतु अतिरिक्त अनुदान (₹33.45 करोड़) प्रदान करने तथा (ii) भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (₹1 करोड़)।	(c) For (i) providing additional Grants for Integrated Handloom Development Scheme (₹ 33.45 crore) and (ii) setting up of Indian Institute of Handloom Technology (₹ 1 crore).	34.45	-	34.45
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
94 पर्यटन मंत्रालय	94 Ministry of Tourism			
(क) कार्यालय स्थान किराए पर लेने के लिए किराया दरें और कर संबंधी अतिरिक्त व्यय हेतु।	(a) For additional expenditure towards, Rent, Rates and Taxes for hiring of office accommodation.	-	15.40	15.40
(ख) गुलमर्ग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनीयरिंग के नए भवन के परिचालन और रख-रखाव संबंधी व्यय हेतु।	(b) For operation and maintenance expenditure of new building of Indian Institute of Skiing and Mountaineering at Gulmarg.	-	1.00	1.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
101 शहरी विकास विभाग	101 Department of Urban Development			
(क) निम्नलिखित को वेतन संबंधी सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (i) दिल्ली शहरी कला आयोग (₹1.44 करोड़), (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (₹2.30 करोड़), (iii) नगरपालिका कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र (₹5.59 करोड़) और (iv) राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (₹3 करोड़)।	(a) For providing Grants-in-aid-Salaries to (i) Delhi Urban Art Commission (₹ 1.44 crore), (ii) National Capital Region Planning Board (₹ 2.30 crore), (iii) Training Centre for Municipal Employees (₹ 5.59 crore) and (iv) National Institute of Urban Affairs (₹ 3 crore).	-	12.33	12.33
(ख) कोलकाता के चालू पूर्व-पश्चिम गलियारे के कार्यान्वयन के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अतिरिक्त इक्विटी निवेश प्रदान करने हेतु।	(b) For providing additional equity investment to Kolkata Metro Rail Corporation Limited for implementation of the on-going East-West Corridor of Kolkata.	55.00	-	55.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ग) (i) पास-थ्रू सहायता (₹80.50 करोड़) और (ii) अधीनस्थ ऋण (₹16.50 करोड़) के संबंध में चालू पूर्व-पश्चिम गलियारे के कार्यान्वयन के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को अतिरिक्त राशि प्रदान करने हेतु।	(c) For providing additional amount to Kolkata Metro Rail Corporation Limited for implementation of the on-going East-West Corridor towards (i) Pass Through Assistance (₹ 80.50 crore), and (ii) Subordinate Debt (₹ 16.50 crore).	97.00	-	97.00
102 लोक निर्माण कार्य राजघाट समाधि समिति को वेतन संबंधी सहायता अनुदान मुहैया कराने हेतु।	102 Public Works For Grants-in-aid Salaries to Rajghat Samadhi Committee.	-	0.50	0.50
जल संसाधन मंत्रालय 104. जल संसाधन मंत्रालय जल संसाधन विकास योजना की जांच के तहत राष्ट्रीय परियोजनाओं (जिप्सा और बर्सर परियोजनाएं) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	MINISTRY OF WATER RESOURCES 104 Ministry of Water Resources For meeting additional expenditure on preparation of Detailed Project Report of National Projects (Gyspa and Bursar Projects) under 'Investigation of Water Resources Development Scheme'.	56.20	-	56.20
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.38	0.22	0.60
6. तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से कुल ₹ 276,71,25,000 करोड़ के छह अग्रिमों की मंजूरी दी गई थी। इसकी प्रतिपूर्ति अनुदानों की पूरक मांगों की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात कर दी जाएगी।	6. Six advances aggregating ₹ 276,71,25,000 were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. This will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
कुल जोड़	GRAND TOTAL	16,596.53	18,127.97	34,724.50
निवल नकद बहिर्वाह	Net Cash Outgo	7,325.33	1,690.73	9,016.06
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	9,270.82	16,437.02	25,707.84
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.38	0.22	0.60

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपये Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि मंत्रालय		MINISTRY OF AGRICULTURE					
1. कृषि और सहकारिता विभाग	स्वीकृत	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	0.02	...	0.02	1
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.02	...	0.02	2
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
4. परमाणु ऊर्जा	स्वीकृत	4. Atomic Energy	Voted	0.01	...	0.01	3
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS					
6. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	स्वीकृत	6. Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	420.21	...	420.21	4
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
9. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.01	...	0.01	5
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY					
11. वाणिज्य विभाग	भारित स्वीकृत	11. Department of Commerce	Charged	0.02	...	0.02	6
			Voted	0.03	...	0.03	
12. औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	भारित स्वीकृत	12. Department of Industrial Policy and Promotion	Charged	0.09	...	0.09	7
			Voted	0.01	...	0.01	
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
13. डाक विभाग	भारित	13. Department of Posts	Charged	...	0.02	0.02	8
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
16. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	16. Department of Consumer Affairs	Voted	2.00	...	2.00	9
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
19. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	19. Ministry of Culture	Voted	15.04	...	15.04	10-12

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
22. रक्षा सेवा-थल सेना	भारित	22. Defence Services - Army	Charged	12.00	...	12.00	13
23. रक्षा सेवा-नौसेना	स्वीकृत	23. Defence Services - Navy	Voted	0.01	...	0.01	14
24. रक्षा सेवा-वायु सेना	स्वीकृत	24. Defence Services - Air Force	Voted	85.56	...	85.56	15
27. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित	27. Capital Outlay on Defence Services	Charged	...	3.00	3.00	16
पर्यावरण और वन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS					
30. पर्यावरण और वन मंत्रालय	स्वीकृत	30. Ministry of Environment and Forests	Voted	0.01	...	0.01	17
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
31. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	31. Ministry of External Affairs	Voted	198.54	...	198.54	18
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
32. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	32. Department of Economic Affairs	Voted	1111.79	10612.83	11724.62	19-20
33. वित्तीय सेवा विभाग	स्वीकृत	33. Department of Financial Services	Voted	...	0.01	0.01	21
35. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अन्तरण	भारित	35. Transfers to State and Union Territory Governments	Charged	...	12000.00	12000.00	22
38. व्यय विभाग	स्वीकृत	38. Department of Expenditure	Voted	0.90	...	0.90	23
40. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	स्वीकृत	40. Indian Audit and Accounts Department	Voted	25.00	...	25.00	24
41. राजस्व विभाग	स्वीकृत	41. Department of Revenue	Voted	0.01	...	0.01	25
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45. Ministry of Food Processing Industries	Voted	95.50	...	95.50	26
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	46. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.06	0.01	0.07	27-29
47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)	स्वीकृत	47. Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.03	...	0.03	30-31
48. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	48. Department of Health Research	Voted	0.02	...	0.02	32

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
भारी उद्योग और सरकारी उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
50. सरकारी उद्यम विभाग	स्वीकृत	50. Department of Heavy Industry	Voted	0.32	...	0.32	33
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
52. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	52. Ministry of Home Affairs	Voted	0.01	...	0.01	34
53. मंत्रीमंडल	स्वीकृत	53. Cabinet	Voted	434.64	...	434.64	35
54. पुलिस	स्वीकृत	54. Police	Voted	1759.47	0.02	1759.49	36-37
आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION					
57. आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	स्वीकृत	57. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted	0.01	...	0.01	38
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
58. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	58. Department of School Education and Literacy	Voted	0.02	...	0.02	39
59. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	59. Department of Higher Education	Voted	0.02	...	0.02	40
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
60. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	...	8.63	8.63	41
श्रम और रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
61. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	61. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.01	...	0.01	42
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
66. खान मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Mines	Voted	...	68.87	68.87	43
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय		MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS					
72. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	स्वीकृत	72. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	0.02	...	0.02	44
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय		MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS					
73. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	73. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	...	1585.74	1585.74	45

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(करोड़ रुपए Rupees in crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
योजना मंत्रालय		MINISTRY OF PLANNING					
74. योजना मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Planning	Voted	0.01	...	0.01	46
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
74. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	75. Ministry of Power	Voted	31.49	...	31.49	47
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
81. ग्रामीण विकास विभाग	स्वीकृत	82. Department of Rural Development	Voted	2300.01	...	2300.01	48
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
85. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	85. Department of Science and Technology	Voted	0.02	...	0.02	49-50
87. जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	87. Department of Biotechnology	Voted	0.01	...	0.01	51
अन्तरिक्ष मंत्रालय		DEPARTMENT OF SPACE					
87. अन्तरिक्ष विभाग	स्वीकृत	90. Department of Space	Voted	...	0.01	0.01	52
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय		MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION					
91. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	91. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	2375.00	...	2375.00	53
कपड़ा मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
93. कपड़ा मंत्रालय	स्वीकृत	93. Ministry of Textiles	Voted	0.03	18.00	18.03	54-55
पर्यटन मंत्रालय		MINISTRY OF TOURISM					
94. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	94. Ministry of Tourism	Voted	0.02	...	0.02	56
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)					
96. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	स्वीकृत	96. Andaman and Nicobar Islands	Voted	35.56	...	35.56	57
शहरी विकास मंत्रालय		MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT					
101. शहरी विकास विभाग	भारित	101. Department of Urban Development	Charged	...	20.20	20.20	58-59
	स्वीकृत		Voted	0.01	0.02	0.03	
102. लोक निर्माण कार्य		102. Public Works	Voted	0.01	...	0.01	60
103. लेखन सामग्री एवं मुद्रण		103. Stationery and Printing	Voted	...	3.55	3.55	61

		(करोड़ रुपए Rupees in crore)					
मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
जल संसाधन मंत्रालय		MINISTRY OF WATER RESOURCES					
104. जल संसाधन मंत्रालय	स्वीकृत	104. Ministry of Water Resources	Voted	0.01	...	0.01	62
महिला और बाल विकास मंत्रालय		MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT					
105. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	105. Ministry of Women and Child Development	Voted	1500.00	...	1500.00	63
कुल जोड़		GRAND TOTAL		10403.59	24320.91	34724.50	
	भारित		Charged	12.11	12023.22	12035.33	
	स्वीकृत		Voted	10391.48	12297.69	22689.17	
अनुबंध		ANNEXURE					65-72

मांग संख्या DEMAND NO.1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 देखिए)।

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	17450.67	72.20	17522.87	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	17450.69	72.20	17522.89	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2401-फसल कार्य	2401- Crop Husbandry	0.01 (क)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552- North Eastern Areas	0.01 (ख)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनोंके लिए अपेक्षित है:-

(क) राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना (₹ 125 करोड़), राष्ट्रीय जैविक कृषि संवर्धन परियोजना (₹ 1 करोड़), राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता प्रबंधन परियोजना (₹ 1.50 करोड़), राष्ट्रीय बांस प्रोद्योगिकी और व्यापार विकास मिशन (₹ 6 करोड़) और एकीकृत तिलहन ऑयल पाम, दलहन और मक्का विकास (₹ 7.50 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(ख) कृषि आर्थिक नीति और विकास में अध्ययन योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्य (₹ 6 करोड़), कृषि सांख्यिकी सुधार (₹ 7 करोड़), सहकारी समितियों के विकास हेतु, एनसीडीसी को सहायता (₹ 3 करोड़), सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण (₹ 3 करोड़), 'बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण (₹ 1.68 करोड़) और बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु, बीज अवसंरचना सुविधाओं के विकास और सुदृढ़ीकरण की जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना स्कीम (₹ 3.48 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

This supplementary grant is required for the following purposes: -

(a) Grants-in-aid General to Tribal Areas Sub-Plan under the schemes National Horticulture Mission (₹ 125 crore), National Project on Promotion of Organic Farming (₹ 1 crore), National Project on Management of Soil Health & Fertility (₹ 1.50 crore), National Mission on Bamboo Technology and Trade Development (₹ 6 crore) and Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses & Maize Development (₹ 7.50 crore) .

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid General to North Eastern States under the schemes Studies in Agricultural Economic Policy and Development (₹ 6 crore), Improvement of Agricultural Statistics (₹ 7 crore), Assistance to NCDC for Development of Cooperatives (₹ 3 crore), Cooperative Education and Training (₹ 3 crore), Development and strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds (₹ 1.68 crore) and Grants-in-aid General under Tribal Area Sub-Plan scheme of Development and strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds (₹ 3.48 crore).

As savings are available with in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिए)।

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	4966.14	...	4966.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	4966.16	...	4966.16

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2415-कृषि-अनुसंधान एवं शिक्षा	2415- Agricultural Research & Education			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- (क) कृषि (₹10.00 करोड़), पशुपालन (₹36.23 करोड़) और मात्स्यिकी (₹25.00 करोड़) में मूलभूत, सामरिक और सीमांत अनुप्रयोग अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय निधि के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु आईसीएआर को समान्य सहायता अनुदान।
- (ख) एसआरबी एंड दीपा (₹0.80 करोड़), कृषि संबंधी विस्तार (₹0.12 करोड़), कृषि शिक्षा (₹0.31 करोड़), आर्थिक एवं संख्यिकी तथा प्रबंधन (₹0.05 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग (₹0.22 करोड़), मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (₹0.25 करोड़), अन्य एनआरएम संस्थान (₹1.50 करोड़) पशुपालन (₹4.30 करोड़) और मात्स्यिकी (₹1.00 करोड़) सहित फसल विज्ञान (₹3.76 करोड़), बागवानी (₹2.69 करोड़), आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु आईसीएआर की पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान।
- (a) Grants-in-aid General to ICAR for meeting additional expenditure under National Fund for Basic, Strategic and frontier Application Research in Agriculture (₹ 10.00 crore), Animal Husbandry (₹ 36.23 crore) and Fisheries (₹ 25.00 crore).
- (b) Grants for creation of capital assets to ICAR for meeting additional expenditure under Crop Science (₹ 3.76 crore), Horticulture (₹ 2.69 crore), ICAR Hqrs. Admn. including ASRB & DIPA (₹ 0.80 crore), Agriculture Extension (₹ 0.12 crore), Agriculture Education (₹ 0.31 crore), Economic & Statistics & Management (₹ 0.05 crore), Agricultural Engineering (₹ 0.22 crore), Soil & water Conservation Research Institute (₹ 0.25 crore), Other NRM institutes (₹ 1.50 crore), Animal Husbandry (₹ 4.30 crore) and Fisheries (₹ 1.00 crore).

चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 4

परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 देखिए)।

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
स्वीकृत	Voted:	5636.41	3448.85	9085.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5637.42	3449.85	9087.27
भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00
स्वीकृत	Voted:	5636.42	3448.85	9085.27

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3401-परमाणु ऊर्जा	3401-Atomic Energy Research			
अनुसंधान	स्वीकृत	Voted:	...	0.01
				0.01

यह पूरक अनुदान भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50.00 करोड़) संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु मांगा गया है। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is sought for meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹50.00 crore) to Bhopal Memorial Hospital and Research Centre. As savings are available within the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.6

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS & PETROCHEMICALS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 देखिए)।

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	799.88	22.12	822.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	420.21	...	420.21	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1220.09	22.12	1242.21	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries			
स्वीकृत	Voted:	9.48 (का)	410.73 (खb)	420.21

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:-

The Supplementary Grant is required for the following purposes:-

(क) हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड के सन्दर्भ में दि.31.3.2009 की स्थिति के अनुसार आयोजना ऋण (₹ 9.09 करोड़) तथा दि.31.1.2010 की स्थिति के अनुसार उस पर ब्याज (₹ 0.39 करोड़) की माफी हेतु आवश्यक लेखा समायोजन करने हेतु। इन्हें प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा तथा इस प्रकार इसमें नगद व्यय नहीं होगा।

(a) For carrying out necessary accounting adjustment for waiver of Plan loan (₹ 9.09 crore) as on 31.3.2009 and interest thereon (₹ 0.39 crore) as on 31.1.2010 in respect of Hindustan Insecticides Limited. These will be matched by receipts, and hence will not entail cash outgo.

(ख) भोपाल गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों को अनुग्रह राशि का वितरण करने पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा। इस प्रयोजनार्थ भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम तौर पर ₹ 265 करोड़ स्वीकृत किए गए जिसकी प्रतिपूर्ति संसद से पूरक अनुदान के पारित होने के बाद निधि में कर दी जाएगी।

(b) For meeting expenses on distribution of ex-gratia to the victims of Bhopal Gas Leak Disaster. An advance of ₹ 265 crore sanctioned from Contingency Fund of India for the purpose shall be recouped to the Fund after the Supplementary Grant is passed in the Parliament. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.9

नागर विमानन मंत्रालय
MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 देखिए)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	1000.92	1393.00	2393.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत		Voted:	1000.93	1393.00	2393.93

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएं		3451-Secretariat-Economic Services			
स्वीकृत		Voted:	...	0.01	0.01

एयर इंडिया के विभिन्न औद्योगिक मुद्दों के समाधान हेतु नवगठित धर्माधिकारी समिति की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु यह पूरक अनुदान अपेक्षित है (0.32 करोड़ रुपए)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for meeting the establishment related expenditure (₹.0.32 crore) of newly constituted Dharmadhikari Committee to resolve the various industrial relation issues of Air India. As savings are available in the same Section of the Grant, token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.11

वाणिज्य विभाग
DEPARTMENT OF COMMERCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 के अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिए)।

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	1.00	...	1.00
	स्वीकृत	Voted:	5584.10	930.98	6515.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		5585.15	930.98	6516.13
	भारित	Charged:	1.02	...	1.02
	स्वीकृत	Voted:	5584.13	930.98	6515.11

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना		आयोजना-भिन्न	जोड़	
		Plan		Non-Plan	Total	
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय-आर्थिक		3451- Secretariat-Economic				
सेवाएं	भारित	Services	Charged:	...	0.02 (का)	0.02
2057-पूर्ति एवं निपटान	स्वीकृत	2057- Supplies and Disposals	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
2407-पौधरोपण	स्वीकृत	2407- Plantations	Voted:	0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)		0.02	0.03	0.05
	भारित		Charged:	...	0.02	0.02
	स्वीकृत		Voted:	0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित के लिए मांगा गया है:

(क) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, दिल्ली द्वारा क्षतिपूर्ति संबंधी फैसले से उत्पन्न व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 0.0125 करोड़)। इस प्रयोजन हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से ₹ 0.0125 करोड़ के अग्रिम की मंजूरी दी गई, जिसकी निधि में प्रतिपूर्ति संसद द्वारा पूरक अनुदान के पारित किए जाने के पश्चात् की जाएगी।

चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में बचतें उपलब्ध हैं जिसे अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय द्वारा राज्य सरकारों को बैंक एंड सपोर्ट मुहैया कराने के लिए ई-प्रोक्योरमेंट पर मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 36.72 करोड़)।

(ग) 'काजू उद्योग का आधुनिकीकरण और विविधीकरण' योजना के तहत लम्बित देयताओं के भुगतान हेतु काजू निर्यात संवर्धन परिषद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4.02 करोड़)।

(घ) निम्नलिखित को अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) कॉफी बोर्ड का वेतन संबंधी सहायता अनुदान (₹ 9 करोड़), रबर बोर्ड (₹ 17.50 करोड़), मसाला बोर्ड (₹ 3.04 करोड़), और चाय बोर्ड (₹ 20.40 करोड़) तथा (ii) कॉफी बोर्ड के पेंशन और स्थापना संबंधी व्यय हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 23 करोड़), रबर बोर्ड (₹ 12.50 करोड़), मसाला बोर्ड (₹ 4.96 करोड़) और चाय बोर्ड (₹ 8.60 करोड़)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant/appropriation is sought for:

(a) Meeting expenditure arising out of a compensation award given by Motor Accident Claims Tribunal, Delhi (₹ 0.0125 crore). An advance of ₹ 0.0125 crore was sanctioned from Contingency Fund of India for the purpose, which shall be recouped to the Fund after the supplementary is passed by the Parliament.

As savings are available in the voted section of the Grant, which will be surrendered, this will not entail cash outgo.

(b) Meeting expenditure for implementation of Mission Mode Project on e-Procurement to provide back end support to State Governments by Directorate General of Supplies and Disposals (₹ 36.72 crore).

(c) Grants-in-aid General to Cashew Export Promotion Council for making payment of pending liabilities under the scheme 'Modernization and Diversification of Cashew Industry' (₹ 4.02 crore).

(d) Meeting additional expenditure on (i) Grants-in-aid Salaries of Coffee Board (₹ 9 crore), Rubber Board (₹ 17.50 crore), Spices Board (₹ 3.04 crore), and Tea Board (₹ 20.40 crore) and (ii) Grants-in-aid General for Pension and establishment related expenditure of Coffee Board (₹ 23 crore), Rubber Board (₹ 12.50 crore), Spices Board (₹ 4.96 crore), and Tea Board (₹ 8.60 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 12

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 देखिए)।

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:
	स्वीकृत	Voted:	1481.01	8.00	1489.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	भारित	Charged:	0.09	...	0.09
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1481.11	8.00	1489.11	
	भारित	Charged:	0.09	...	0.09
	स्वीकृत	Voted:	1481.02	8.00	1489.02

II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2852-उद्योग	स्वीकृत 2852- Industries				
		Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2885-उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परिव्यय	भारित 2885- Other Outlays on Industries and Minerals	Charged:	0.09 (खब)	...	0.09
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		0.10	...	0.10
	भारित	Charged:	0.09	...	0.09
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

इन पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं:

The supplementary appropriation/grant is sought for the following purposes:

- (क) अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना के लिए ₹ 18.05 करोड़ सहित ₹ 41.04 करोड़ की राशि के लिए अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम के तहत समान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत प्रावधानों के संवर्धन के लिए ₹ 0.01 करोड़ की एक सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है;
- (ख) न्यायालय आदेश के अनुपालन में निवेश सब्सिडी योजना (पुरानी) के तहत मध्य प्रदेश सरकार को प्रतिपूर्ति के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु ₹ 0.09 करोड़ का विनियोग माँगा गया है। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (a) A token supplementary of ₹ 0.01 crore is sought for augmenting the provisions under 'Grants-in-aid General' under the Indian Leather Development Programme from savings available in the same section of the grant for a sum of ₹ 41.04 crore including ₹ 18.05 crore for Special Component Plan for Scheduled Caste;
- (b) Appropriation of ₹ 0.09 crore is sought for meeting additional expenditure towards reimbursement to Government of Madhya Pradesh under the Investment Subsidy (Old) Scheme in compliance of Court Order. This will not entail additional cash outgo as equivalent amount will be surrendered from the voted section of the Grant.

मांग संख्या DEMAND NO. 13

डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 देखिए)।

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:	0.10	...	0.10	
स्वीकृत	Voted:	13522.26	518.12	14040.38	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
भारित	Charged:	...	0.02	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	13522.36	518.14	14040.50	
भारित	Charged:	0.10	0.02	0.12	
स्वीकृत	Voted:	13522.26	518.12	14040.38	

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5201-डाक सेवाओं पर	5201-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	Postal Services	Charged:	0.02	...	0.02

यह पूरक विनियोग मनमाड (महाराष्ट्र) में स्टॉफ क्वार्टर्स निर्माण संबंधी मुम्बई हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय से उत्पन्न भुगतान के संबंध में अपेक्षित है। चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के स्वीकृत भाग से अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is sought towards making payment arising out of Judgement given by High Court, Mumbai on construction of Staff quarters at Manmad (Maharashtra). As equivalent savings will be surrendered from the voted section of the grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 16

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 देखिए)।

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	576.90	23.46	600.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	2.00	...	2.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
	स्वीकृत	Voted:	578.90	23.46	602.36

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	3601-Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	2.00

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकता के उपरोक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान		3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-) 2.00	(-) 2.00

यह पूरक अनुदान उपभोक्ता कल्याण कोष के तहत परियोजनाओं की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि इस पूरक की पूर्ति वसूलियों द्वारा की जाती है, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary grant is sought for meeting the additional requirement for Projects under Consumer Welfare Fund. As the Supplementary is matched by recoveries, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 19

संस्कृति मंत्रालय
MINISTRY OF CULTURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 देखिए)।

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	1298.00	40.00	1338.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	15.04	...	15.04
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत		Voted:	1313.04	40.00	1353.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2205-कला एवं संस्कृति	स्वीकृत	2205- Art and Culture	Voted:	15.00 (का)	0.01 (खb)	15.01
3601-राज्य सरकार को		3601- Grants-in-aid to State				
सहायता अनुदान	स्वीकृत	Governments	Voted:	0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों		3602- Grants-in-aid to Union				
को सहायता अनुदान	स्वीकृत	Territory Governments	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (पूरक)		Total (Supplementary)				
	स्वीकृत		Voted:	15.02	0.02	15.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है :

The supplementary grant is required for the following purposes:

- | | |
|---|--|
| <p>क. (i) गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगौर के 150वें जन्म दिवस मनाने के संबंध में विभिन्न कार्यक्रम/कार्यकलापों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹10.00 करोड़)।</p> <p>(ii) स्वामी विवेकानन्द के 150वें जन्म दिवस मनाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹5.00 करोड़)।</p> <p>(iii) कथक केंद्र को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से संगीत नाटक अकादमी में शिफ्ट करने और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्कीम हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹3.00 करोड़)।</p> <p>(iv) संगीत नाटक अकादमी को चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में कला संग्रहालय स्थापित करने हेतु पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹3.00 करोड़)।</p> <p>(v) साहित्य अकादमी को युवा लेखकों को सेवाएं बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार योजनाओं के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़)।</p> <p>(vi) साहित्य अकादमी को द्वारका, नई दिल्ली भवन निर्माण संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹2.00 करोड़)।</p> | <p>a. (i) Grants-in-aid General to meet the additional expenditure on various programmes/activities in connection with celebration of 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore (₹10.00 crore).</p> <p>(ii) Grants-in-aid General to meet the additional expenditure on Celebration of 150th Birth Anniversary of Swami Vivekananda (₹5.00 crore).</p> <p>(iii) Grants-in-aid General to Sangeet Natak Akademi for shifting of Kathak Kendra from National School of Drama and for Intangible Cultural Heritage (ICH) scheme (₹3.00 crore).</p> <p>(iv) Grants for creation of capital assets to Sangeet Natak Akademi for setting up of National Museum for Performing Arts in Chanakyapuri, New Delhi (₹3.00 crore).</p> <p>(v) Grants-in-aid General to Sahitya Academy to meet the additional expenditure under the schemes - Services to Young Writers, Bal Sahitya Puruskar and Yuva Puruskar (₹2.50 crore).</p> <p>(vi) Grants for creation of capital assets to Sahitya Academy to meet the additional expenditure on construction of building in Dwaraka, New Delhi and for purchase of mobile vans (₹2.00 crore).</p> |
|---|--|

- | | |
|--|---|
| (vii) ललित कला अकादमी को वेनिस बियनेल संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹2.00 करोड़)। | (vii) Grants-in-aid General to Lalit Kala Academy to meet the additional expenditure on Venice Biennale (₹2.00 crore). |
| (viii) ललित कला अकादमी को कोलकाता और शिलांग में क्षेत्रीय केन्द्रों के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन और अन्य पूंजी निर्माण कार्यों के लिए अनुदान (₹3.00 करोड़)। | (viii) Grants for creation of capital assets to Lalit Kala Academy to meet the additional expenditure on construction of Regional Centres at Kolkata and Shilong and other capital works (₹3.00 crore). |
| (ix) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को थिएटर-इन-एजुकेशन कम्पनी, एनएसडी, बंगलौर के परिचालन और कथक केन्द्र स्पेस के पुनरुद्धार और हिन्दी मोबाइल थिएटर-कम-रेपर्टरी कम्पनी/थिएटर अभिलेखागारों के परिचालन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति सामान्य सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़)। | (ix) Grants-in-aid General to National School of Drama to meet the additional expenditure on Theatre-in-Education (TIE) company, to operationalise NSD, Bangalore, renovation of Kathak Kendra space and to operationalise Hindi mobile Theatre-cum-Repertory Company/Theatre Archives (₹2.50 crore). |
| (x) अधिक संख्या में लाभ भोगियों को सहायता के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु, 'नृत्य, नाट्य और थिएटर संपरिधानों को सहायता' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹3.00 करोड़)। | (x) Grants-in-aid General under the scheme- 'Assistance to Dance, Drama and Theatre Ensembles' to meet the additional expenditure on payment of assistance to the enhanced number of beneficiaries (₹3.00 crore). |
| (xi) प्रादेशिक सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की रजत जयंती समारोह के संबंध में पूरे देश में अपना उत्सव, यात्राओं और अन्य कार्यक्रमों संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु प्रादेशिक सांस्कृतिक केन्द्रों को सामान्य सहायता अनुदान (₹26.00 करोड़)। | (xi) Grants-in-aid General to Zonal Cultural Centres to meet the additional expenditure on Apna Utsav, Yatras and other programmes across the country relating to celebration of Silver Jubilee of the setting up of Zonal Cultural Centres (₹26.00 crore). |
| (xii) 'सांस्कृतिक संगठनों का विकास' योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों से इस योजना के तहत प्राप्त अधिक संख्या में प्रस्तावों के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति सामान्य सहायता अनुदान (₹4.00 करोड़)। | (xii) Grants-in-aid General under the scheme 'Development of Cultural Organisations' to meet the additional expenditure on increased number of proposals received from voluntary organisations under the scheme (₹4.00 crore). |
| (xiii) 'अमूर्त विरासत और सांस्कृतिक विविधता के क्षेत्र में सुरक्षात्मक एवं अन्य रक्षात्मक उपाय' योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सांस्कृतिक नाटक अकादमी को सामान्य सहायता अनुदान (₹1.00 करोड़)। | (xiii) Grants-in-aid General to Sangeet Natak Akademi to meet the additional expenditure under the scheme 'Safe-guarding and other Protective Measures in the area of Intangible Heritage and Cultural Diversity' (₹1.00 crore). |
| (xiv) 'विदेशों में भारतीय साहित्य को प्रोत्साहन' योजना के तहत पुस्तकों का अनुवाद, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेलों में प्रोत्साहन आदि के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.90 करोड़)। | (xiv) Grants-in-aid General to meet the additional expenditure under the scheme 'Promotion of Indian Literature Abroad' for translation of books, promotions at International Book Fairs, etc. (₹0.90 crore). |
| (xv) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् को उच्च दर्जे के उपस्करों की अधिप्राप्ति और क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, कोलकाता में तारामंडल के प्रमुख पुनरुद्धार कार्य संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹10.55 करोड़)। | (xv) Grants for creation of capital assets to National Council of Science Museum to meet the additional expenditure on procurement of high end equipments and major renovation of Planetarium at Regional Science Centres, Kolkata (₹10.55 crore). |
| (xvi) राष्ट्रीय पांडुलिपि आयोग को डिजिटिकरण कार्य संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹2.50 करोड़)। | (xvi) Grants-in-aid General to National Mission of Manuscript to meet the additional expenditure on Digitization work (₹2.50 crore). |
| (xvii) राष्ट्रीय पांडुलिपि आयोग को राष्ट्रीय पांडुलिपि डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2.50 करोड़)। | (xvii) Grants for creation of capital assets to National Mission of Manuscript for setting up of National Digital Library of Manuscripts (₹2.50 crore). |
| (xviii) नव नालंदा महावीरा एवं ह्वेन त्सांग स्मारक हॉल को भाषा सकाय, बालिका छात्रावास, खेल परिसर आदि के निर्माण संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹6.00 करोड़)। | (xviii) Grants for creation of capital assets to Nav Nalanda Mahavihara and Huen Tsang Memorial Hall to meet the additional expenditure on construction of language faculty, girls Hostel, Sports Complex etc. (₹6.00 crore). |
| (xix) भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को 'पांडुलिपियों/दुर्लभ पुस्तकों के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता' योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों के पंजीकरण संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹1.25 करोड़)। | (xix) Grants-in-aid General to National Archives of India to meet the additional expenditure on registration of voluntary organizations under the scheme 'Financial Assistance for Preservation of Manuscripts/Rare Books' (₹1.25 crore). |

चूँकि अनुदान के इसी भाग में ₹75.70 करोड़ की बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें ₹15.00 करोड़ का निवल नगद व्यय होगा।

As savings of ₹75.70 crore are available in the same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹15.00 crore.

<p>ख. (i) नव नालंदा महावीर और ह्वेन सैंग स्मारक हॉल को चार प्रोफेसर्स की भर्ती के कारण वचनबद्ध व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹1.22 करोड़)।</p> <p>(ii) राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् को 92 नए पदधारियों की भर्ती के कारण वचनबद्ध व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹8.19 करोड़)।</p> <p>(iii) केन्द्रीय हिमालयन सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान को वेतन, टेलीफोन, बिजली बिलों और अन्य आकस्मिकता व्ययों के भुगतान संबंधी आवर्ती व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹1.00 करोड़)।</p> <p>(iv) जीआरएल मौनैस्टिक स्कूल, बॉम्बिल, अरुणाचल प्रदेश को वेतन, कार्यालय व्यय, पुस्तकों की खरीद और छात्रवृत्तियों आदि जैसे आवर्ती व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.72 करोड़)।</p> <p>(v) ऐतिहासिक अध्ययन संस्थान, कोलकाता को साहित्यिक कार्यकलापों में कार्यरत संस्थाओं और व्यक्तियों की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.10 करोड़)।</p> <p>(vi) गुरु-ता-गद्दी की त्रिशताब्दी स्मरणोत्सव के लिए आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो के विकास हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹20.03 करोड़)।</p> <p>(vii) श्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्मशताब्दी समारोह के लिए रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली में एक पीठ की स्थापना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹0.80 करोड़)।</p>	<p>b. (i) Grants-in-aid General to Nav Nalanda Mahavihara and Huen Tsang Memorial Hall to meet the committed expenditure due to recruitment of four professors (₹1.22 crore).</p> <p>(ii) Grants-in-aid General to National Council of Science Museum to meet the committed expenditure due to recruitment of 92 new incumbents (₹8.19 crore).</p> <p>(iii) Grants-in-aid General to Central Institute of Himalayan Cultural Studies to meet the recurring expenditure towards payment of salary, telephone, electricity bills and other contingency expenses (₹1.00 crore).</p> <p>(iv) Grants-in-aid General to GRL Monastic School, Bomdila, Arunachal Pradesh to meet its recurring expenses like salary, office expenses, purchase of books and award of scholarships, etc. (₹0.72 crore).</p> <p>(v) Grants-in-aid General to Institute of Historical Studies, Kolkata under the scheme Institutions and Individuals engaged in literary activities (₹0.10 crore).</p> <p>(vi) Grants-in-aid General for Commemoration of Ter Centenary of Guru-ta-Gaddi for the development of Anandpur Sahib and Talwandi Sabo (₹20.03 crore).</p> <p>(vii) Grants-in-aid General for Celebration of Birth Centenary of Shri Lal Bahadur Shastri for setting up a chair in the Institute of Defence Studies and Analyses (IDSA), New Delhi (₹0.80 crore).</p>
<p>चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>ग. (i) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को 'राज्य सरकार के पुस्तकालयों और संग्रहालयों को वित्तीय सहायता' योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹5.00 करोड़)।</p> <p>(ii) गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के स्मरणोत्सव के लिए राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹5.00 करोड़)।</p>	<p>c. (i) Grants-in-aid General to National Archives of India to meet the additional expenditure under the scheme 'Financial Assistance to State Government Libraries and Museums' (₹5.00 crore).</p> <p>(ii) Grants-in-aid General for the programmes to be organized by the State Governments to commemorate 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore (₹5.00 crore).</p>
<p>चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>घ. भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को पुरावस्तु एवं कला निधि अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन हेतु पंजीयन अधिकारियों और अन्य सहायक कर्मचारियों को वेतन भुगतान की प्रतिपूर्ति के बकाया देयताओं संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹1.00 करोड़)।</p>	<p>d. Grants-in-aid General to Archaeological Survey of India to meet the additional expenditure on pending liabilities of reimbursement of payment of salary to the Registering Officers and other supporting staff for implementation of the Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (₹1.00 crore).</p>
<p>चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>ङ. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को 'संघ राज्य क्षेत्र अभिलेख संग्रह, सरकारी पुस्तकालयों और संग्रहालयों' योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.50 करोड़)।</p>	<p>e. Grants-in-aid General to National Archives of India to meet the additional expenditure under the scheme 'Financial Assistance to Union Territory Archival Repositories, Government Libraries and Museums' (₹0.50 crore).</p>
<p>चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

मांग संख्या DEMAND NO.22

रक्षा सेवाएं- थलसेना
DEFENCE SERVICES-ARMY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2011 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 देखिए)।

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	22.67	...	22.67
स्वीकृत	Voted:	65962.38	...	65962.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित	Charged:	12.00	...	12.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	65997.05	...	65997.05
भारित	Charged:	34.67	...	34.67
स्वीकृत	Voted:	65962.38	...	65962.38

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं- थल सेना	2076-Defence Services- Army			
भारित	Charged:	...	12.00	12.00

यह पूरक विनियोग न्यायालय आदेशों से उत्पन्न ₹12 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध में अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि समतुल्य बचतें अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध हैं।

The supplementary appropriation is required towards meeting the additional expenditure of ₹ 12 crore arising out of Court orders. This will not entail cash outgo as equivalent savings are available in the voted section of the Grant.

मांग संख्या DEMAND NO.23

रक्षा सेवाएं - नौसेना
DEFENCE SERVICES - NAVY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिए)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	6.81	...	6.81
	स्वीकृत	Voted:	10782.25	...	10782.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	10789.07	...	10789.07
	भारित	Charged:	6.81	...	6.81
	स्वीकृत	Voted:	10782.26	...	10782.26

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2077-रक्षा सेवाएं - नौसेना		2077-Defence Services-Navy			
	स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान कोचिन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में टेक्नो स्ट्रैटेजिक स्टडीज सेन्टर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में सेन्टर फॉर एप्लाइड रिसर्च इन इलेक्ट्रॉनिक्स (0.53 करोड़ रुपए) को सहायता अनुदान प्रदान करने के संबंध में अपेक्षित है। चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required towards providing grants-in-aid to Centre for Techno Strategic Studies at Cochin University for Science & Technology (₹0.10 crore) and Centre for Applied Research in Electronics (₹0.53 crore) at Indian Institute of Technology, Delhi. As equivalent savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.24

रक्षा सेवाओं - वायु सेवा
DEFENCE SERVICES - AIR FORCE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 देखिए)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	2.14	...	2.14
	स्वीकृत	Voted:	16518.73	...	16518.73
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	85.56	...	85.56
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	16606.43	...	16606.43
	भारित	Charged:	2.14	...	2.14
	स्वीकृत	Voted:	16604.29	...	16604.29

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेवा		2078-Defence Services-Air Force			
	स्वीकृत	Voted:	...	85.56	85.56

यह पूरक अनुदान अतिविशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा के लिए वायुयानों की अनुरक्षण लागत के संबंध में एयर इंडिया को भुगतान करने हेतु अपेक्षित है। 85.56 करोड़ रुपए के इस पूरक अनुदान में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for making payment to Air India towards maintenance cost of aircrafts for VVIP travel. This supplementary of ₹85.56 crore will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.27

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिए)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	...	50.80
	स्वीकृत	Voted:	...	69148.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित	Charged:	...	3.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	69201.81	69201.81
	भारित	Charged:	...	53.80
	स्वीकृत	Voted:	...	69148.01

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services			
	भारित	Charged:	...	3.00

यह पूरक विनियोग न्यायालय के आदेशों के फलस्वरूप अतिरिक्त भुगतानों की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required towards meeting additional payments arising out of Court orders. As equivalent savings are available within the voted section of the grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 30

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 देखिए)।

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	2661.29	80.68	2741.97	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	2661.30	80.68	2741.98

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान अनुसंधान परियोजनाओं हेतु संरक्षण कार्यक्रम के तहत मैंग्रोव पारिस्थितिकी प्रणाली को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु अपेक्षित है (₹1.06 करोड़)। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for providing Grants-in-aid General to Mangroves Eco-Systems under Conservation Programme for Research Projects (₹1.06 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.31

विदेश मंत्रालय
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 देखिए)।

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	6314.97	791.00	7105.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	198.54	...	198.54
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6513.54	791.00	7304.54	
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	6513.51	791.00	7304.51

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2061-विदेश		2061-External				
मंत्रालय	स्वीकृत	Affairs	Voted:	...	198.54	198.54

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

- वीवीआईपी विदेश यात्राओं के लिए एअर इण्डिया, निजी एयर संचालक/जहाज मालिकों तथा लीबिया में निष्क्रमण अभियान से संबंधित बिलों के भुगतान हेतु (₹141.50 करोड़)।
- वीवीआईपी यात्रा के लिए एकमात्र रूप से एयर इंडिया के वायुयानों की अनुरक्षण लागत हेतु (₹57.04 करोड़)।
- यमन से भारतीयों को बाहर निकालने वाले अभियान के लिए भारत की आकस्मिक निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु (₹10 करोड़)।
- निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (क) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) (₹121 करोड़), (ख) भारतीय विश्व कार्य परिषद (आईसीडब्ल्यूए) (₹12 करोड़), (ग) गुटनिरपेक्ष और अन्य विकासशील देशों हेतु अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) सोसायटी (₹5.35 करोड़ रुपए), (घ) भारतीय अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईआईआर) (₹0.10 करोड़) (ड) चीनी अध्ययन संस्थान (₹0.56 करोड़), (च) ग्रामीण और औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र चण्डीगढ़ (₹1 करोड़) और (छ) विदेशी नीति अध्ययन संस्थान कलकत्ता विश्वविद्यालय (₹2.00 करोड़ रुपए)।

चूंकि ₹152.01 करोड़ की बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः इसमें ₹198.54 करोड़ का निवल नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for the following purposes:

- For settlement of bills pertaining to Air India, Private Air Operators/shippers for VVIP visits abroad and evacuation operations in Libya (₹141.50 crore).
- For maintenance cost of aircrafts of Air India exclusively meant for VVIP travel (₹57.04 crore).
- For recoupment of advance drawn from the Contingency Fund of India for the evacuation operations for Indians from Yemen (₹10 crore).
- To provide Grants-in-aid-General to (a) Indian Council of Cultural Relations (ICCR) (₹121 crore), (b) Indian Council of World Affairs (ICWA) (₹12 crore), (c) Society for Research & Information System for non-aligned and other Developing Countries (RIS) (₹5.35 crore), (d) Indian Council for Research on International Economic Relations (ICRIER) (₹0.10 crore), (e) Instituites of Chinese Studies (₹0.56 crore), (f) Centre for Research in Rural and Industrial Development, Chandigarh (₹1 crore) and (g) Institute of Foreign Policy Studies, University of Calcutta (₹2.00 crore).

As savings of ₹152.01 crore are available within the same Section of the Grant, this will entail a net cash out of ₹198.54 crore.

मांग संख्या DEMAND NO.32

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 देखिए)।

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	6948.66	14683.56	21632.22	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	1111.79	10612.83	11724.62	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	8060.45	25296.39	33356.84	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070-Other Administrative Services	Voted:	...	0.01 (का)	0.01
2810-नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	Voted:	1066.46 (खb)	...	1066.46
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	Voted:	...	45.32 (गc)	45.32
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	Voted:	1066.46	45.33	1111.79
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
5466-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	5466-Investments in International Financial Institutions	Voted:	...	1609.79 (घd)	1609.79
7475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	7475-Loans for Other General Economic Services	Voted:	...	9003.04 (ङe)	9003.04
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	Voted:	...	10612.83	10612.83
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	1066.46	10658.16	11724.62

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:-

The Supplementary Grant is required for the following purposes:-

(क) वित्तीय सेवा विधायी सुधार आयोग की स्थापना के संबंध में संस्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 4.00 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

(a) For meeting establishment related expenditure (₹ 4.00 crore) in connection with setting up of Financial Services Legislative Reforms Commission (FSLRC). As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) प्रारम्भ में इस प्रावधान (₹ 1066.46 करोड़) को 'राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि' में अंतरित किया जाएगा जिसकी देखरेख भारत के लोक लेखे में स्वच्छ ऊर्जा आदि में अनुसंधान संबंधी विभिन्न नई परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु व्यय की पूर्ति के लिए की जाएगी। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, रसायन एवं उर्वरक, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों द्वारा किया जाएगा। इसमें नकद व्यय होगा।

(b) The provision (₹ 1066.46 crore) would be transferred initially to the 'National Clean Energy Fund' to be maintained in the Public Account of India for meeting expenditure to finance various new projects relating to research in clean energy, etc. to be implemented by Ministries of Power, Coal, Petroleum & Natural Gas, Chemicals and Fertilizers, New and Renewable Energy and Environment & Forests. This will entail cash outgo.

- (ग) (i) कजाकिस्तान सरकार को वर्ष 1993 में प्रदान की गई ऋण शृंखला संबंधी बकाया देय राशि की माफी हेतु (₹ 14.34 करोड़)।
- (ii) कजाकिस्तान सरकार को वर्ष 1993 में प्रदान की गई ऋण शृंखला में से बकाया ऋणों पर बकाया ब्याज की माफी हेतु (₹ 20.58 करोड़)।
- (iii) उज्बेकिस्तान सरकार को वर्ष 1994 में प्रदान की गई ऋण शृंखला में से बकाया ऋणों पर बकाया ब्याज की माफी हेतु (₹ 30.08 लाख)।
- (iv) उज्बेकिस्तान सरकार को वर्ष 1994 में प्रदान की गई ऋण शृंखला में से बकाया ऋणों पर बकाया ब्याज पर दंड ब्याज की माफी हेतु (₹ 9.42 लाख)।
- (ग) (i) से (iv) की मदों में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति समतुल्य राशि की प्राप्ति द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (v) बजट (2011-12) घोषणाओं में से एक के कार्यान्वयन हेतु मद्रास स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स को विशेष सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 10.00 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 10.00 करोड़ की बचतों जिसे अभ्यर्पित किया जाएगा, को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (vi) यूरोशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनीलॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग को अंशदान हेतु (₹ 0.32 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अंतर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को अनुरक्षण मूल्य के भुगतान हेतु (₹ 1609.79 करोड़)। चूंकि इसकी प्रतिपूर्ति निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों के जरिए होने वाली प्राप्तियों से की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ङ) उधार प्राप्त करने की नई व्यवस्थाओं के तहत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ऋण प्रदान करने हेतु (₹ 9003.04 करोड़)। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के खाते से राशि उपलब्धता की तारीख को नामे करेगा और साथ ही एनएबी नोट भारतीय रिजर्व बैंक को उसी राशि उपलब्धता की तारीख को समान खाते में क्रेडिट कर अंतरित किए जाएंगे, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (c) (i) For waiving of outstanding dues (₹ 14.34 crore) in respect of line of credit extended to Government of Kazakhstan in 1993.
- (ii) For waiving of interest outstanding (₹ 20.58 crore) on loans outstanding against the line of credit extended to Government of Kazakhstan in 1993.
- (iii) For waiving of interest outstanding (₹ 30.08 lakh) on loans outstanding against the line of credit extended to Government of Uzbekistan in 1994.
- (iv) For waiving of penal interest on interest outstanding (₹ 9.42 lakh) on loans outstanding against the line of credit extended to Government of Uzbekistan in 1994.
- Expenditure in items at (c) (i) to (iv) will be matched by receipts of an equivalent amount, there will be no cash outgo.
- (v) For providing special Grant in aid to Madras School of Economics (MSE) (₹ 10.00 crore) to implement one of the Budget (2011-12) announcements. After taking into account savings of ₹ 10.00 crore available in the Capital Section of the Grant, which will be surrendered, this will not entail cash outgo.
- (vi) For contribution to Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorism Financing (₹ 0.32 crore). As savings are available within the same section of the Grant, there will be no cash outgo.
- (d) For making payment for Maintenance of Value (MoV) (₹ 1609.79 crore) to International Monetary Fund (IMF). There will be no cash outgo as this would be matched by receipts through Securities to be issued.
- (e) For providing loans to International Monetary Fund (IMF) under New Arrangements to Borrow (NAB) (₹ 9003.04 crore). This will not entail cash outgo as Reserve Bank of India would debit the Government of India (GOI) account on the value date and simultaneously the NAB notes will be transferred to the RBI on the same value date by crediting the same account.

मांग संख्या DEMAND NO.33

वित्तीय सेवाएं विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 देखिए)।

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	15891.94	7814.00	23705.94	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	15891.94	7814.01	23705.95	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4416-कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	4416-Investments in Agricultural Financial Institutions				
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	

यह पूरक अनुदान राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की पूंजी में ₹1000 करोड़ की इक्विटी प्रदान कर संवर्धन हेतु मांगा गया है। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought for augmenting the capital of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) by infusing equity of ₹1000 crore. As savings are available within the same section of Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 35

राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण
TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 देखिए)।

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित		Charged:	...	49298.62
	स्वीकृत		Voted:	10000.00	99348.61
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित		Charged:	12000.00	12000.00
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	138647.23	22000.00	160647.23
	भारित		Charged:	12000.00	61298.62
	स्वीकृत		Voted:	10000.00	99348.61

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	भारित	7601-Loans and Advances to State Governments	Charged:	9000.00 (का)	3000.00 (ख) 12000.00

टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शाई गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित की जाती है।

Note: The above estimates do not include the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम		7601-Loans and Advances to State Governments	...	(-) 2000.00	(-) 2000.00

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित के लिए अपेक्षित है:

- (क) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता। चूंकि समतुल्य राशि की बचतें अनुदान के पूंजी (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध हैं जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।
- (ख) राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम। चूंकि ₹1000 करोड़ की बचतें अनुदान के पूंजी (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध हैं जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा और ₹2000 करोड़ वसूलियों से पूरा किया जाएगा, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary Appropriation is required for :

- (a) Additional Central Assistance (ACA) for Externally Aided Project. As savings of equivalent amount available in Capital (Voted) Section of the grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.
- (b) Ways and Means Advance to State Governments. As savings of ₹1,000 crore available in Capital (Voted) Section of the Grant will be surrendered and ₹2,000 crore will be matched by recoveries, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.38

व्यय विभाग

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 देखिए)।

(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	99.97	2.00	101.97	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.90	...	0.90	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	100.87	2.00	102.87	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय		2052- Secretariat			
सामान्य सेवाएं	स्वीकृत	General Services	Voted:	...	0.90
				0.90	0.90

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

- 2006 से पूर्व के पेंशनरों के मामलों को सरल बनाने के लिए विशेष प्रकोष्ठ के संवर्धन हेतु केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) के अतिरिक्त संस्थापन संबंधी व्यय (₹0.32 करोड़) की पूर्ति हेतु।
- “स्वीकृत अनुदान और भारित विनियोग की तुलना में अतिरिक्त 2008-09” संबंधी 22वीं रिपोर्ट (15वीं लोक लेखा) के एक पैरा के लोक लेखा समिति की सिफारिश के अनुपालन में ई-स्करोल परियोजना हेतु सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और जनशक्ति की अधिप्राप्ति हेतु अतिरिक्त व्यय (₹1.13 करोड़) की पूर्ति हेतु।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹0.55 करोड़ रुपए और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹0.90 करोड़, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, की बचतों को ध्यान में रखते हुए, इसमें नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- For meeting the additional establishment related expenditure (₹0.32 crore) of Central Pension Accounting Office (CPAO) for augmentation of Special Cell for facilitating pre-2006 Pensioner's cases.
- For meeting the additional expenditure (₹1.13 crore) for procurement of software, hardware and manpower for e-scroll project to comply with Public Account Committee's recommendation in a para in the 22nd Report (15th Lok Sabha) on "Excess over Voted Grant and Charged Appropriations 2008-09".

After taking into account savings of ₹0.55 crore available in the Revenue Section of the Grant and ₹0.90 crore in the Capital Section of the Grant, which will be surrendered, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 40

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 देखिए)।

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	74.52	...	74.52
	स्वीकृत	Voted:	2314.36	9.68	2324.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	25.00	...	25.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2413.88	9.68	2423.56	
	भारित	Charged:	74.52	...	74.52
	स्वीकृत	Voted:	2339.36	9.68	2349.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016-लेखा परीक्षा	2016- Audit			
	स्वीकृत	Voted:	...	25.00
			25.00	25.00

यह पूरक अनुदान राज्यों में सिविल लेखों के वाउचर स्तर कम्प्यूटरीकरण प्रणाली के उन्नयन हेतु अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for upgradation of the Voucher level Computerisation system of Civil Accounts in the States. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 41

राजस्व विभाग
DEPARTMENT OF REVENUE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 देखिए)।

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	13338.99	17.89	13356.88
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	13339.02	17.89	13356.91
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	13339.00	17.89	13356.89

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य		2052-Secretariat-General			
सेवाएं	स्वीकृत	Services	Voted:	...	0.01
					0.01

यह पूरक अनुदान साइप्रस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमरीका, सिंगापुर और मॉरिशस में आयकर विदेश इकाइयों की स्थापना करने हेतु व्यय (₹17.20 करोड़) की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The Supplementary Grant is required for meeting expenditure (₹17.20 crore) for setting up Income Tax Overseas Units (ITOU) in Cyprus, France, Germany, Japan, Netherland, United Arab Emirates, United Kingdom, United State of America, Singapore and Mauritius. As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिए)।

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 514.58	95.51	610.09
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 95.50	...	95.50
	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 610.08	95.51	705.59

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2408-खाद्य भण्डारण और		2408-Food Storage				
भण्डागारण	स्वीकृत	and Warehousing	Voted:	95.50	...	95.50

यह पूरक अनुदान राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यम और प्रबन्धन संस्थान (₹80.00 करोड़) को संस्थागत सहायता की मजबूती से सम्बद्ध योजना तथा भारतीय फसल प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (₹15.50 करोड़) को सहायता देने पर होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि समतुल्य बचतें अनुदान के पूंजी (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध हैं जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for meeting the expenditure on the scheme for Strengthening of Institution of Assistance to National Institute of Food Technology Entrepreneurship & Management (₹80.00 crore) and Assistance to Indian Institute of Crop Processing Technology (₹15.50 crore). As equivalent savings, available in the Capital (Voted) Section of the Grant, will be surrendered, this will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.46

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिए)।

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	26912.25	1989.08	28901.33	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.06	0.01	0.07	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	26912.31	1989.09	28901.40	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210- Medical and Public Health	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2211-परिवार कल्याण	2211- Family Welfare	Voted:	0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (ङe)	...	0.01
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602- Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted:	0.01 (चf)	...	0.01
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	0.04	0.02	0.06
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	4210- Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted:	0.01 (छg)	...	0.01
जोड़ पूंजी भाग	Total Capital Section	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.05	0.02	0.07

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are required for the following purposes:

- | | |
|---|---|
| <p>(क) (i) निम्नलिखित स्वायत्त निकायों को वेतन संबंधी सहायता अनुदान:</p> <p>(1) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 88.52 करोड़);</p> <p>(2) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु (₹ 24.86 करोड़);</p> <p>(3) लाला राम स्वरूप क्षय और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (₹ 20.20 करोड़);</p> <p>(4) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, नई दिल्ली (₹ 1.00 करोड़);</p> <p>(5) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (₹ 41.00 करोड़);</p> <p>(6) अखिल भारतीय वाक् एवं श्रव्य संस्थान, मैसूर (₹ 4.00 करोड़);</p> <p>(7) राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (₹ 0.30 करोड़);</p> | <p>(a) (i) Grants-in-aid-Salaries to the following Autonomous Bodies:</p> <p>(1) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 88.52 crore);</p> <p>(2) National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bengaluru (₹ 24.86 crore);</p> <p>(3) Lala Ram Swarup Institute of T.B. & Allied Diseases, New Delhi (₹ 20.20 crores);</p> <p>(4) Vallabh Bhai Patel Chest Institute, New Delhi (₹ 1.00 crore);</p> <p>(5) Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Puducherry (₹ 41.00 crore);</p> <p>(6) All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 4.00 crore);</p> <p>(7) National Academy of Medical Sciences (₹ 0.30 crore);</p> |
|---|---|

- (8) कस्तूरबा हेल्थ सोसाइटी, वर्धा (₹ 23.85 करोड़);
 (9) पास्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुनूर (₹ 13.00 करोड़);
 (10) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स, नोएडा (₹ 4.75 करोड़);
 (11) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (₹ 12.00 करोड़); और
 (12) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (₹ 1.25 करोड़)।
 (ii) निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए निगरानी समिति हेतु अतिरिक्त व्यय:
 (1) संकाय सदस्यों के वेतन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 0.10 करोड़); तथा
 (2) पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 150.00 करोड़)।
 चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(ख) निम्नलिखित स्वायत्त निकायों को वेतन संबंधी सहायता अनुदान:

- (1) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 446.20 करोड़);
- (2) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (₹ 323.00 करोड़);
- (3) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु (₹ 56.98 करोड़);
- (4) लाला राम स्वरूप तपेदिक और संबद्ध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 10.75 करोड़);
- (5) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, नई दिल्ली (₹ 18.40 करोड़);
- (6) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी (₹ 97.00 करोड़);
- (7) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता (₹ 11.58 करोड़);
- (8) अखिल भारतीय वाक् एवं श्रव्य संस्थान, मैसूर (₹ 8.25 करोड़);
- (9) राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी (₹ 0.32 करोड़);
- (10) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र (₹ 2.20 करोड़); और
- (11) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (₹ 2.48 करोड़)।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (ग) (i) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली को वेतन संबंधी सहायता अनुदान (₹ 3.00 करोड़)।
 (ii) औषधियों एवं उपस्करों की अधिप्राप्ति (टीके आदि से भिन्न) योजना के तहत व्यावसायिकों की सेवा प्राप्त करने संबंधी व्यय हेतु (₹ 5.00 करोड़)।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(घ) निम्नलिखित स्वायत्त निकायों को वेतन संबंधी सहायता अनुदान:

- (1) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (₹ 14.67 करोड़);
- (2) अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (₹ 9.60 करोड़)।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (8) Kasturba Health Society, Wardha (₹ 23.85 crore);
 - (9) Pasteur Institute of India, Coonoor (₹ 13.00 crore);
 - (10) National Institute of Biologicals, Noida (₹ 4.75 crore);
 - (11) Food Safety and Standards Authority of India (₹ 12.00 crore); and
 - (12) Indian Pharmacopoeia Commission (₹ 1.25 crore).
- (ii) Additional expenditure for Oversight Committee for the following purposes:
- (1) For meeting expenditure of Salaries of faculty members (₹ 0.10 crore); and
 - (2) Grants for creation of capital assets (₹ 150.00 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) Grants-in-aid-Salaries to the following Autonomous Bodies:

- (1) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 446.20 crore);
- (2) Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 323.00 crore);
- (3) National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bengaluru (₹ 56.98 crore);
- (4) Lala Ram Swarup Institute of T.B. & Allied Diseases, New Delhi (₹ 10.75 crores);
- (5) Vallabh Bhai Patel Chest Institute, New Delhi (₹ 18.40 crore);
- (6) Jawaharlal Institute of Post Graduate Medical Education & Research, Puducherry (₹ 97.00 crore);
- (7) Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (₹ 11.58 crore);
- (8) All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (₹ 8.25 crore);
- (9) National Academy of Medical Sciences (₹ 0.32 crore);
- (10) New Delhi TB Centre (₹ 2.20 crore); and
- (11) Indian Pharmacopoeia Commission (₹ 2.48 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (c) (i) Grants-in-aid-Salaries to National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi (₹ 3.00 crore).
 (ii) For meeting expenditure on hiring services of professionals under the scheme 'Procurement of Drugs & Equipments (Other than Vaccines etc.)' (₹ 5.00 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(d) Grants-in-aid-Salaries to the following Autonomous Bodies:

- (1) National Institute of Health & Family Welfare, New Delhi (₹ 14.67 crore);
- (2) International Institute of Population Sciences, Mumbai (₹ 9.60 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(ड) निम्नलिखित स्वायत्त निकायों को वेतन संबंधी सहायता अनुदान:

- (1) पूर्वोत्तर इंदिरा गाँधी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, शिलांग (₹ 76.54 करोड़);
- (2) चिकित्सा विज्ञान क्षेत्रीय संस्थान, इम्फाल (₹ 104.92 करोड़);
- (3) लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर (₹ 13.04 करोड़); और
- (4) क्षेत्रीय अर्ध चिकित्सा और नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजोल (₹ 7.90 करोड़)।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(च) अनुसूचित जातियों के लिए 'विशेष संघटक योजना' आरम्भ करने संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु, जो निम्नलिखित हैं:

- (1) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र (₹ 1.36 करोड़);
- (2) शहरी परिवार कल्याण केन्द्र का पुनर्निर्माण (₹ 0.68 करोड़);
- (3) राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रखरखाव (₹ 0.64 करोड़); और
- (4) उप-केन्द्र (₹ 0.64 करोड़);

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (घ) (i) केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन- संगठन के अंतर्गत विभिन्न प्रयोगशाला में के उन्नयन हेतु अपेक्षित उपस्करों की अधिप्राप्ति संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए (₹ 24.75 करोड़)।
- (ii) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली -प्रमुख निर्माण कार्यो पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 25.00 करोड़)।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

(e) Grants-in-aid-Salaries to the following Autonomous Bodies:

- (1) North-Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health & Medical Sciences, Shillong (₹ 76.54 crore);
- (2) Regional Institute of Medical Sciences, Imphal (₹ 104.92 crore);
- (3) Lokopriya Gopinath Bordoloi Regional Institute of Mental Health, Tezpur (₹ 13.04 crore); and
- (4) Regional Institute of Paramedical & Nursing Sciences, Aizawl (₹ 7.90 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(f) For meeting additional expenditure on introducing 'Special Component Plan for Scheduled Castes' as follows:

- (1) Urban Family Welfare Centres (₹ 1.36 crore);
- (2) Revamping of Urban Family Welfare Centres (₹ 0.68 crore);
- (3) Maintenance of State/District Family Welfare Bureaus (₹ 0.64 crore); and
- (4) Sub-Centres (₹ 0.64 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (g) (i) Central Drugs Standards Control Organisation - For meeting expenditure on procurement of equipments required for upgradation of various laboratories under the Organisation (₹ 24.75 crore)
- (ii) Central Research Institute, Kasauli - For meeting additional expenditure on major works (₹ 25.00 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.47

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) विभाग
DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND
HOMEOPATHY (AYUSH)

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 देखिए)।

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1064.00	24.00	1088.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:	0.03	...	0.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1064.03	24.00	1088.03	
स्वीकृत	Voted:	1064.03	24.00	1088.03	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत	2210-Medical and Public Health	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	0.01	0.03

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(क) निम्नलिखित स्वायत्तशासी संगठनों को वेतन सहायता अनुदान:

(a) Grants-in-aid-Salaries to the following Autonomous Organisations:

- (1) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली (₹0.29 करोड़);
- (2) आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर (₹0.74 करोड़);
- (3) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (₹3.20 करोड़);
- (4) केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद् (₹8.40 करोड़);
- (5) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (₹7.50 करोड़);
- (6) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (₹14.30 करोड़);
- (7) राष्ट्रीय यूनानी औषधि संस्थान, बेंगलुरु (₹3.26 करोड़);
- (8) केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद् (₹9.50 करोड़);
- (9) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (₹4.73 करोड़);
- (10) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे (₹1.00 करोड़);
- (11) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (₹2.73 करोड़);
- (12) राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान (₹3.56 करोड़); तथा
- (13) केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद् (₹1.50 करोड़);

- (1) All India Institute of Ayurveda, New Delhi (₹0.29 crore);
- (2) Institute of Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar (₹0.74 crore);
- (3) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹3.20 crore);
- (4) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹8.40 crore);
- (5) National Institute of Homoeopathy, Kolkata (₹7.50 crore);
- (6) Central Council for Research in Homoeopathy (₹14.30 crore);
- (7) National Institute of Unani Medicine, Bengaluru (₹3.26 crore);
- (8) Central Council for Research in Unani Medicine (₹9.50 crore);
- (9) Central Council for Research in Yoga & Naturopathy (₹4.73 crore);
- (10) National Institute of Naturopathy, Pune (₹1.00 crore);
- (11) Morarji Desai National Institute of Yoga (₹2.73 crore);
- (12) National Institute of Siddha (₹3.56 crore); and
- (13) Central Council for Research in Siddha (₹1.50 crore).

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) निम्नलिखित स्वायत्तशासी संगठनों को वेतन सहायता अनुदान:

- (1) केन्द्रीय भारतीय औषधि परिषद् (₹1.66 करोड़);
 - (2) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् (₹1.55 करोड़);
 - (3) आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर ₹11.33 करोड़);
 - (4) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (₹20.37 करोड़);
 - (5) केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद् (₹43.10 करोड़);
 - (6) राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ (0.39 करोड़);
 - (7) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता (₹0.45 करोड़);
 - (8) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (₹10.41 करोड़);
 - (9) केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद् (₹34.80 करोड़);
 - (10) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (₹1.36 करोड़);
 - (11) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (₹3.44 करोड़); और
 - (12) केन्द्रीय सिद्धा अनुसंधान परिषद् (₹8.00 करोड़);
- चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(ग) निम्नलिखित स्वायत्तशासी संगठनों को वेतन सहायता अनुदान:

- (1) पूर्वोत्तर लोक औषधि संस्थान, पासीघाट (₹0.45 करोड़); और
- (2) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलॉंग (₹0.23 करोड़);

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

(b) Grants-in-aid-Salaries to the following Autonomous Organisations:

- (1) Central Council of Indian Medicine (₹1.66 crore);
- (2) Central Council of Homoeopathy (₹1.55 crore);
- (3) Institute of Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar (₹11.33 crore);
- (4) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹20.37 crore);
- (5) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹43.10 crore);
- (6) Rashtriya Ayurved Vidyapeeth (₹0.39 crore);
- (7) National Institute of Homoeopathy, Kolkata (₹0.45 crore);
- (8) Central Council for Research in Homoeopathy (₹10.41 crore);
- (9) Central Council for Research in Unani Medicine (₹34.80 crore);
- (10) Central Council for Research in Yoga & Naturopathy (₹1.36 crore);
- (11) Morarji Desai National Institute of Yoga (₹3.44 crore); and
- (12) Central Council for Research in Siddha (₹8.00 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c) Grants-in-aid-Salaries to the following Autonomous Organisations:

- (1) North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat (₹0.45 crore); and
- (2) North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong (₹0.23 crore)

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.48

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 देखिए)।

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	771.00	...	771.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	771.02	...	771.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health			
स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	0.01	0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are required for the following purposes:

(क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को वेतन सहायता अनुदान (₹97.70 करोड़)।

(a) Grants-in-aid-Salaries to Indian Council of Medical Research, New Delhi (₹97.70 crore).

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(क) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को वेतन सहायता अनुदान (₹165.38 करोड़)।

(b) Grants-in-aid-Salaries to Indian Council of Medical Research, New Delhi (₹165.38 crore).

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 50

भारी उद्योग विभाग
DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 देखिए)।

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

			(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:		415.75	439.90	855.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:		0.32	...	0.32
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:		416.07	439.90	855.97
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:					

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 2852-Industries		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
		Voted:	...	0.32	0.32

यह पूरक अनुदान अपेक्षित है निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए (i) कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति राशि के रूप में सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान हेतु भारत यंत्र निगम लि. (₹ 0.32 करोड़ रुपए) और (ii) व्यय की पूर्ति के लिए डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ऑटोमोबाइल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज (₹ 4.84 करोड़ रुपए)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में ₹ 4.84 करोड़ रुपए की बचतें उपलब्ध हैं और 0.32 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति उस समकक्ष राशि से की जाएगी जिसे अनुदान के पूंजी भाग से अभ्यर्पित किया जाएगा, इसलिए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The Supplementary grant is required for providing grants-in-aid general to (i) Bharat Yantra Nigam Ltd. (₹ 0.32 crore) for payment of retirement benefit as VRS amount to employees and (ii) Development Council for Automobile & Allied Industries (₹4.84 crore) to meet the expenditure.

As savings of ₹ 4.84 crore are available with in same Section of Grant and ₹ 0.32 crore will be matched by equivalent amount surrendered from the Capital section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 52

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 देखिए)।

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	4921.54	28.85	4950.39	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	4921.55	28.85	4950.40	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2070-अन्य प्रशासनिक व्यय	स्वीकृत	2070- Other Administrative Services	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित की पूर्ति हेतु अपेक्षित है :

The supplementary grant is required for meeting :

- | | |
|--|--|
| (i) सिविल डिफेंस के सम्पूर्ण कार्यालय के तहत संस्थापन संबंधी व्यय (₹0.06 करोड़)। | (i) establishment related expenditure under Revamping of Civil Defence (₹0.06 crore). |
| (ii) आग और आपात सेवाओं के तहत संस्थापन संबंधी व्यय (₹0.25 करोड़)। | (ii) establishment related expenditure under Strengthening of Fire and Emergency Services (₹0.25 crore). |

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.53

मंत्रिमण्डल
CABINET

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 देखिए)।

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.62	...	0.62
	स्वीकृत	Voted:	329.92	104.07	433.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	434.64	...	434.64
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		765.18	104.07	869.25
	भारित	Charged:	0.62	...	0.62
	स्वीकृत	Voted:	764.56	104.07	868.63

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2013-मंत्रि परिषद	2013-Council of Ministers				
	स्वीकृत	Voted:	...	434.64	434.64

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित के लिए मांगा गया है :

- (i) वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से संबंधित एयर इण्डिया के बकाया दावों के निपटान हेतु (₹235.00 करोड़)।
- (ii) वीवीआईपी यात्रा के लिए उपयोग किए जाने वाले वायुयान के अनुरक्षण के संबंध में एयर इंडिया को भुगतान हेतु (₹199.64 करोड़)।

इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for :

- (i) clearing pending claims of Air India pertaining to Prime Minister's foreign tours during the year 2008, 2009 and 2010 (₹235.00 crore).
- (ii) payment to Air India towards maintenance of aircraft used for VVIP travel (₹199.64 crore).

This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.54

पुलिस
POLICE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 देखिए)।

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	4.41	8.10	12.51
	स्वीकृत	Voted:	31543.06	8464.42	40007.48
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	1759.47	0.02	1759.49
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	33306.94	8472.54	41779.48	
	भारित	Charged:	4.41	8.10	12.51
	स्वीकृत	Voted:	33302.53	8464.44	41766.97

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2055-पुलिस	स्वीकृत 2055- Police	Voted:	136.91 (का)	872.56 (खब)	1009.47
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत 3601- Grants-in-aid to State Governments	Voted:	...	750.00 (गक)	750.00
जोड़ राजस्व भाग	Total Revenue Section	Voted:	136.91	1622.56	1759.47
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत 4055- Capital Outlay on Police	Voted:	0.01 (घद)	0.01 (ङे)	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	136.92	1622.57	1759.49

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) की व्यावसायिक सेवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹32.69 करोड़)।

(ii) नेटग्रिड के सूचना प्रौद्योगिकी (मशीनें तथा उपकरणों) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹104.22 करोड़)।

(ख) (i) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) (₹286.03 करोड़), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) (₹140.00 करोड़), इण्डो-तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी (₹63.90 करोड़), दिल्ली पुलिस (₹40.13 करोड़), केन्द्रीय जासूसी प्रशिक्षण स्कूल (₹0.20 करोड़) और असम राइफल्स (एआर) (₹90.00 करोड़) के हथियार और बारूद (सामान्य) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।

(ii) घरेलू यात्रा व्यय (₹0.70 करोड़), विदेशी यात्रा व्यय (₹0.30 करोड़) और कार्यालय व्यय (₹1.30 करोड़) के तहत नेटग्रिड के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।

(iii) पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु राज्य सरकारों को सहायता अनुदान प्रदान करना (₹250.00 करोड़)।

The supplementary grant is required for:

(a) (i) meeting additional expenditure under Professional Services of National Intelligence Grid (NATGRID) (₹32.69 crore).

(ii) meeting additional expenditure under Information Technology (Machinery and Equipment) of NATGRID (₹104.22 crore).

(b) (i) meeting additional expenditure under Arms and Ammunition (General) of Border Security Force (BSF) (₹286.03 crore), Central Reserve Police Force (CRPF) (₹140.00 crore), Indo-Tibetan Border Police (ITBP) (₹63.90 crore), Delhi Police (₹40.13 crore), Central Detective Training School (₹0.20 crore) and Assam Rifles (AR) (₹90.00 crore).

(ii) meeting additional expenditure of NATGRID under Domestic Travel Expenses (₹ 0.70 crore), Foreign Travel Expenses (₹0.30 crore) and Office Expenses (₹1.30 crore).

(iii) providing assistance to State Police Organisations under the scheme of Modernisation of Police Force (₹250.00 crore).

अनुदान के पूंजी भाग के तहत उपलब्ध ₹1009.47 करोड़ की बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई नहीं होगा।

- (ग) (i) पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के तहत राज्य सरकारों को सामान्य सहायता-अनुदान मुहैया कराना (₹650.00 करोड़)
(ii) पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान मुहैया कराना (₹100.00 करोड़)।

(iii) इंडिया रिजर्व बटालियन को सहायता मुहैया कराना (₹45.00 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग के तहत उपलब्ध ₹249.30 करोड़ की बचत जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, तथा ₹45.00 करोड़ की बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, को ध्यान में रखते हुए ₹500.70 करोड़ का निवल नगद व्यय होगा।

- (घ) (i) बीएसएफ (₹10.00 करोड़), आईटीबीपी (₹13.35 करोड़), एसएसबी (₹2.00 करोड़) और असम राइफल्स (एआर) (₹5.00 करोड़) की सीमा चौकी के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।
(ii) बीएसएफ (₹119.00 करोड़), एसएसबी (₹52.00 करोड़) नेटग्रिड (₹25.10 करोड़) असम राइफल्स (₹36.00 करोड़), राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (₹20.00 करोड़) तथा सीआरपीएफ (₹147.90 करोड़) के कार्यालय भवन के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।
(ड) सीआरपीएफ, आसूचना ब्यूरो, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, आईटीबीपी, और बीएसएफ के मशीनरी और उपस्कर के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹240.00 करोड़)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

Taking into account savings of ₹1009.47 crore available under Capital Section of the Grant which will be surrendered, this will not involve cash outgo.

- (c) (i) providing Grants-in-aid General to State Governments under the scheme of Modernisation of Police Force (₹650.00 crore).
(ii) providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme of Modernisation of Police Force (₹100.00 crore).
(iii) providing assistance to India Reserve Battalion (₹45.00 crore).

Taking into account savings of ₹249.30 crore available under Capital Section of the Grant which will be surrendered and savings of ₹45.00 crore available within the same Section of the Grant, this will involve net cash outgo of ₹500.70 crore.

- (d) (i) meeting additional expenditure under Border Out Posts of BSF (₹10.00 crore), ITBP (₹13.35 crore), Sashastra Seema Bal (SSB) (₹2.00 crore) and AR (₹5.00 crore).
(ii) meeting additional expenditure under Office Building of BSF (₹119.00 crore), SSB (₹52.00 crore), NATGRID (₹25.10 crore), AR (₹36.00 crore), National Police Academy (₹20.00 crore) and CRPF (₹147.90 crore).
(e) meeting additional expenditure under Machinery and Equipment (General) of CRPF, Intelligence Bureau, National Security Guard, Central Industrial Security Force, ITBP and BSF (₹240.00 crore)

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO.57

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय
MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 देखिए)।

(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1107.60	...	1107.60	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1107.61	...	1107.61	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216-आवास	2216-Housing			
स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान भवन सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद को "सहायता अनुदान-वेतन" (₹3.20 करोड़) प्रदान करने हेतु अपेक्षित है। चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is sought for providing "Grants-in-aid-Salaries" to Building Material & Technology Promotion Council (₹3.20 crore). As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.58

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 देखिए)।

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	60088.58	...	60088.58	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	60088.60	...	60088.60	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education				
स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	...	0.01	
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas				
स्वीकृत	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

(क) अधिक बालिकाओं को शामिल करने और संबंधित प्रशासनिक व्यय हेतु अनुसूचित जाति और जनजाति योजना के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु "राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना" के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹28.00 करोड़)।

(a) Grants-in-aid-General under the scheme "National Scheme for Incentive to Girls for Secondary Education" for meeting additional requirement under Scheduled Castes Sub Plan and Tribal Sub Plan to cover more girls and related administrative expenses (₹28.00 crore)

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजाति उपयोजना के तहत अधिक बालिकाओं को शामिल करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु "राष्ट्रीय बालिका माध्यमिक शिक्षा प्रोत्साहन योजना" के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹3.00 करोड़)।

(b) Grants-in-aid-General under the scheme "National Scheme for Incentive to Girls for Secondary Education" for meeting additional requirement under Scheduled Castes Sub Plan and Tribal Sub Plan in North Eastern Areas to cover more girls (₹3.00 crore)

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 59

उच्च शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 देखिए)।

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	21912.00	...	21912.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत		Voted:	21912.02	...	21912.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		REVENUE SECTION MAJOR HEAD		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
2203-तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत	2203- Technical Education	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	2552- North Eastern Areas	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	0.02	...	0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्य हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are sought for the following purposes:

- (क) "नव भारतीय प्रबन्धन संस्थानों की स्थापना" योजना हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 35.63 करोड़)।
चूँकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) "राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों" की योजना हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 54.61 करोड़)।
चूँकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (a) Grants for creation of capital assets for the scheme "Setting up of New Indian Institutes of Management" (₹ 35.63 crore).
As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants for creation of capital assets for the scheme "National Institutes of Technology" (₹ 54.61 crore).
As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.60

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 देखिए)।

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	2056.14	587.54	2643.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	...	8.63	8.63
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2056.17	596.17	2652.34	
	भारित	Charged:	0.03	...	0.03
	स्वीकृत	Voted:	2056.14	596.17	2652.31

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4220-सूचना और प्रचार पर	4220-Capital Outlay on				
पूंजी परिव्यय	Information and Publicity	Voted:	8.63	...	8.63

₹ 19.77 करोड़ के बकाया ऋण के इक्विटी में परिवर्तन के लिए पूरक मांग अपेक्षित है। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम में ₹ 8.63 करोड़ के बकाया ब्याज को इक्विटी में परिवर्तन के लिए पूरक अनुदान अपेक्षित है। इस पूरक में नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि ब्याज प्राप्तियों के रूप में समतुल्य राशि मानी जाएगी।

A supplementary grant is required for conversion of outstanding loan of ₹ 19.77 crore into equity. As savings are available in the same section of the grant, token supplementary is sought. Supplementary grant is required for conversion of outstanding interest of ₹ 8.63 crore into equity in National Film Development Corporation. This supplementary will not entail cash outgo as equivalent amount will be assumed as interest receipts.

मांग संख्या DEMAND NO. 61

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 देखिए)।

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	3283.62	746.00	4029.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	3283.65	746.00	4029.65
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	3283.63	...	4029.63

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2230-श्रम और		2230-Labour and				
रोजगार	स्वीकृत	Employment	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

- (i) 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई)' (₹17.84 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय हेतु आवश्यक है।
- (ii) 'केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली व्यावसायिक प्रशिक्षण सेवाओं में सुधार हेतु विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना' नामक योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल रहित) को सामान्य सहायता अनुदान (₹1.20 करोड़)।

The Supplementary Grant is required for the following purposes:

- (i) Additional expenditure is required under the scheme 'Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY)' (₹17.84 crore).
- (ii) Grants-in-aid General to Union Territories (without legislatures) under the scheme 'Externally Aided Project for Reforms and Improvement in Vocational Training Services rendered by Central & State Governments' (₹1.20 crore).

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 66

खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 देखिए)।

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	614.97	39.21	654.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	...	68.87	68.87
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	615.07	108.08	723.15
	भारित	Charged:	0.10	...	0.10
	स्वीकृत	Voted:	614.97	108.08	723.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
			Plan	Non-Plan	Total
पूँजी भाग					
मुख्य शीर्ष					
4853-अलौह खनन और धात्विक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय			स्वीकृत		
4853-Capital Outlay on Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries			Voted:	68.87	...
					68.87

यह पूरक अनुदान समुद्रगामी अनुसंधान पोत के अधिग्रहण हेतु भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। इसमें नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for meeting the additional expenditure of Geological Survey of India for acquisition of Ocean-Going Research Vessel. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.72

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 देखिए)।

(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित	Charged:	16.98	5.00	21.98
	स्वीकृत	Voted:	675.18	69.62	744.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	692.18	74.62	766.80
	भारित	Charged:	16.98	5.00	21.98
	स्वीकृत	Voted:	675.20	69.62	744.82

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2051-लोक सेवा		2051-Public Service			
आयोग	स्वीकृत	Commission	Voted:	...	0.01 (का)
2055-पुलिस	स्वीकृत	2055-Police	Voted:	...	0.01 (ख)
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on :

(क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षाओं का आयोजना (₹ 12.00 करोड़)।

(a) conduct of examinations by Staff Selection Commission (₹ 12.00 crore).

(ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए भवन का अनुरक्षण (₹ 3.86 करोड़)।

(b) maintenance of the new building of Central Bureau of Investigation (₹ 3.86 crore).

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध है, अतः प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO.73

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 देखिए)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	23716.20	...	23716.20	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	...	1585.74	1585.74	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	23716.20	1585.74	25301.94	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4802-पेट्रोलियम पर पूंजी परिव्यय	4802-Capital Outlay on Petroleum			
स्वीकृत	Voted:	...	1585.74	1585.74

यह पूरक अनुदान तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी) द्वारा जारी बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश हेतु आवश्यक है। इस व्यय की पूर्ति पूंजी प्राप्तियों से की जाएगी और इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for an additional equity investment in the form of bonus shares issued by Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC). This expenditure will be matched by capital receipts and shall not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 74

योजना मंत्रालय
MINISTRY OF PLANNING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिए)।

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	944.39	731.61	1676.00	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	944.40	731.61	1676.01	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	स्वीकृत	REVENUE SECTION MAJOR HEAD 3451-Secretariat Economic Services	Voted:	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
				0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

- | | |
|--|--|
| <p>(i) लोक सूचना अवसंरचना और नवाचार के संबंध में प्रधानमंत्री के सलाहकार के कार्यालय के अंतर्गत ई-पंचायत, उद्योग समूहों आदि पर प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए सामान्य-सहायता अनुदान (₹1.10 करोड़)</p> <p>(ii) लोक सूचना, अवसंरचना और नवाचार के संबंध में प्रधानमंत्री के सलाहकार के कार्यालय के अंतर्गत ई-पंचायत, उद्योग समूहों आदि पर प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.90 करोड़)।</p> <p>(iii) नवसृजित 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद् संबंधी प्रधानमंत्री के सलाहकार का कार्यालय', के लिए संस्थापना सम्बन्धी व्यय हेतु अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि (₹6.00 करोड़)। ₹1.70 करोड़ की राशि आकास्मिकता निधि अग्रिम तौर पर ली गयी है जिसकी प्रतिपूर्ति संसद द्वारा अनुदानों की पहली पूरक मांगों को पारित किए जाने के बाद की जाएगी।</p> | <p>(i) Grants-in-aid General for the pilot projects on e-Panchayat, industry clusters etc. under the Office of Adviser to P.M. on Public Information, Infrastructure and Innovations (₹ 1.10 crore).</p> <p>(ii) Grants for creation of capital assets for the pilot projects on e-Panchayat, industry clusters etc. under the Office of Adviser to P.M. on Public Information, Infrastructure and Innovations (₹1.90 crore).</p> <p>(iii) Additionality is required for establishment related expenditure in respect of the newly created 'Office of Adviser to P.M. in Prime Minister's National Council on Skill Development (₹6.00 crore). A sum of ₹ 1.70 crore has been taken as Contingency Fund Advance, which shall be recouped after the first supplementary Demands for Grants is passed in Parliament.</p> |
|--|--|

चूँकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.75

विद्युत मंत्रालय
MINISTRY OF POWER

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 देखिए)।

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	11969.52	2862.16	14831.68	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	31.49	...	31.49	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	12001.01	2862.16	14863.17	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	2801-Power	Voted:	0.01 (का)	31.48 (खb) 31.49
टिप्पणी: उपर्युक्त अनुमानों में नीचे दर्शायी गई वसूलियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
Note: The above estimates do not include the recoveries, shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	2801-Power	...	(-) 31.48	(-) 31.48

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए मांगा गया है:

The supplementary grant is sought for the following purposes:

- (क) (i) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलुरु के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 0.0033 करोड़)।
- (ii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को विश्व बैंक अनुदान से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता के वित्तपोषण के परिचालन हेतु (₹ 0.0033 करोड़)।
- (iii) कम्प्यूटरों की खरीद एवं मरम्मत पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यय के लिए नए पृथक शीर्ष के परिचालन हेतु (₹ 0.0034 करोड़)।

चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि इस व्यय की पूर्ति वसूलियों द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

- (a) (i) To provide Grants-in-aid for creation of capital assets for Central Power Research Institute, Bengaluru (₹ 0.0033 crore).
- (ii) For operationalization of financing energy efficiency at Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) from World Bank Grant to Bureau of Energy Efficiency (₹ 0.0033 crore).
- (iii) For operationalization of new separate head for IT related expenditure on purchasing and repairing of computers (₹ 0.0034 crore).

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) For meeting establishment related expenditure of Central Electricity Regulatory Commission (CERC). Since this expenditure will be matched by recoveries, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 82

ग्रामीण विकास विभाग
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिए)।

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	146909.72	...	146909.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	2300.01	...	2300.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	149209.73	...	149209.73

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2515-ग्रामीण विकास हेतु विशेष कार्यक्रम	स्वीकृत	2501- Special Programme for Rural Development	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत	2515- Other Rural Development Programmes	Voted:	2300.00 (खb)	...	2300.00
जोड़ (राजस्व भाग)		Total (Revenue Section)				
	स्वीकृत		Voted:	2300.01	...	2300.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैं :

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(क) (i) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत डीआरडीए/कार्यान्वयन एजेंसियों को अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 150 करोड़) की पूर्ति हेतु प्रावधान की वृद्धि के लिए।

(a) (i) for augmenting the provision to meet the additional requirement (₹150 crore) to DRDAs/Implementing Agencies under Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana.

(ii) राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को निधियों (₹55 करोड़) की निर्मुक्ति तथा मुख्यालयों पर अन्य व्यय (₹ 5 करोड़) हेतु।

(ii) for release of funds (₹55 crore) to the implementing agencies and (₹5 crore) for Other Expenses at Headquarters under the World Bank Assisted Projects of National Rural Livelihood Mission.

(iii) जम्मू कश्मीर की नई योजना, कौशल सशक्तिकरण और रोजगार योजना हेतु निधियों (₹ 27.49 करोड़) की आवश्यकता की पूर्ति हेतु।

(iii) to meet the requirement of funds (₹27.49 crore) for a new Scheme, Skill Empowerment and Employment Scheme for Jammu and Kashmir.

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As the savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) बीपीएल सर्वेक्षण हेतु निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।

(b) for meeting additional requirement of funds for the BPL Survey. This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.85

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 देखिए)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	2695.87	46.75	2742.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		2695.91	46.75	2742.66
	भारित	Charged:	0.02	...	0.02
	स्वीकृत	Voted:	2695.89	46.75	2742.64

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research			
	स्वीकृत	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb) 0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है :

The supplementary grant is required for :

(क) (1) 'अनुसंधान और विकास सहायता' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹24.20 करोड़ रुपए)।

(a) (1) Grants-in-aid General under the scheme 'Research & Development Support' (₹ 24.20 crore).

(2) निम्नलिखित योजनाओं को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान :

(2) Grants for creation of capital assets to the following schemes :

(i) 'सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम' के तहत विज्ञान एवं समाज कार्यक्रम (₹3.00 करोड़ रुपए)।

(i) Science & Society Programme under 'S&T Programmes for Socio Economic Development' (₹ 3.00 crore).

(ii) बांस उत्पाद प्रौद्योगिकी (मिशन मोड प्रोजेक्ट) (₹3.00 करोड़)।

(ii) Technology for Bamboo Products (Mission Mode Project) (₹ 13.00 crore).

(iii) अनुसंधान एवं विकास सहायता-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में बहु-अनुशासनिक अनुसंधान-एसईआरसी (₹30.80 करोड़ रुपए)।

(iii) Research & Development Support - Multi-Disciplinary Research in Science and Technology —SERC (₹ 30.80 crore).

(iv) सिनर्जी परियोजनाएं (₹5.50 करोड़ रुपए)।

(iv) Synergy Projects (₹ 5.50 crore).

(v) 'अनुसूचित जाति विकास' हेतु विशेष संगठक योजना (₹1.00 करोड़ रुपए)।

(v) Special Component Plan for the Development of Scheduled Castes (₹ 1.00 crore).

(vi) निम्नलिखित के लिए अनुसूचित जाति हेतु विशेष संघटक योजना :

(vi) Special Component Plan for Scheduled Castes for:

अनुसंधान एवं विकास सहायता-विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहु-अनुशासनिक अनुसंधान-एसईआरसी (₹3.00 करोड़ रुपए), प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (₹1.50 करोड़), राज्य विज्ञान

Research & Development Support - Multi-Disciplinary Research in Science and Technology — SERC (₹ 3.00 crore), Technology Development Programme (₹ 1.50

और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (₹3.60 करोड़), नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय मिशन (₹3.00 करोड़) तथा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (₹4.00 करोड़)।	crore), State Science & Technology Programme (₹ 3.60 crore), National Mission on Nano Science and Nano Technology (₹ 3.00 crore), and Science & Engineering Research Board (₹ 4.00 crore).
(vii) 'जनजाति उप आयोजना स्कीम' हेतु अनुसूचित जनजाति उपयोजनाएं (₹1.25 करोड़)।	(vii) Scheduled Tribe Sub Plans for 'Tribal Sub Plan Scheme' (₹ 1.25 crore).
(viii) निम्नलिखित हेतु जनजाति उप-योजना : बांस उत्पाद प्रौद्योगिकी (₹3.00 करोड़), अनुसंधान और विकास सहायता-विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहु-अनुशासनिक अनुसंधान-एसईआरसी (₹4.00 करोड़), राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (₹2.40 करोड़), नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी संबंधी राष्ट्रीय मिशन (₹6.00 करोड़) तथा विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (₹4.00 करोड़)।	(viii) Tribal Sub Plan for: Technology for Bamboo Products (₹ 3.00 crore), Research & Development Support - Multi-Disciplinary Research in Science and Technology - SERC (₹ 4.00 crore), State Science & Technology Programme (₹ 2.40 crore), National Mission on Nano Science and Nano Technology (₹ 6.00 crore), and Science & Engineering Research Board (₹ 4.00 crore).
(ख) देहरादून और हैदराबाद में दो केन्द्रीय विद्यालयों को वेतन सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु भारतीय सर्वेक्षण (₹4.88 करोड़)।	(b) Survey of India to provide Grants-in-aid Salaries to two Kendriya Vidyalayas at Dehradun and Hyderabad (₹ 4.88 crore).
चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, इसलिए प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।	As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 87

जैव प्रौद्योगिकी विभाग
DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिए)।

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	1426.92	...	1426.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत		Voted:	1426.93	...	1426.93

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
3425-अन्य वैज्ञानिक		3425-Other Scientific				
अनुसंधान	स्वीकृत	Research	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को 'प्रौद्योगिक प्रबंधन और बौद्धिक संपदा अधिकार क्षमता निर्माण' कार्यक्रम के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से किए गए पेटेंट लागत के कारण सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1 करोड़) संबंधी व्यय हेतु अपेक्षित है। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 1 crore) to National Research Development Corporation on account of patenting cost incurred on behalf of Department of Biotechnology for the programme 'Techno Management and Intellectual Property Rights Capacity Building'. As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 90

अन्तरिक्ष विभाग
DEPARTMENT OF SPACE

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 देखिए)।

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	0.50	0.40	0.90
स्वीकृत	Voted:	3676.97	2948.17	6625.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3677.47	2948.58	6626.05
भारित	Charged:	0.50	0.40	0.90
स्वीकृत	Voted:	3676.97	2948.18	6625.15

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

				आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूँजी भाग		CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
5252-सेटेलाइट प्रणाली पर		5252- Capital Outlay on				
पूँजी परिव्यय	स्वीकृत	Satellite System	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अधिप्राप्त प्रक्षेपण सेवाओं के संबंध में हुए व्यय के लिए अपेक्षित है :

- (i) इनसैट-3डी सैटेलाइट (₹375 करोड़); और
(ii) जीसैट-7 सैटेलाइट (₹375 करोड़)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for incurring expenditure towards procured launch services for :

- (i) INSAT-3D Satellite (₹375 crore); and
(ii) GSAT-7 Satellite (₹375 crore).

As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 91

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 देखिए)।

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	2505.79	21.57	2527.36
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	स्वीकृत	Supplementary Estimate of the amount now required:			
		Voted:	2375.00	...	2375.00
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत	Total (Original plus Supplementary)			
		Voted:	4880.79	21.57	4902.36

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

				आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
				Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD				
2553-सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	स्वीकृत	2553-MPs Local Area Development Scheme	Voted:	2370.00 (का)	...	2370.00
3454-जनसंख्या सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत	3454-Census Surveys and Statistics	Voted:	5.00 (खb)	...	5.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)	Voted:	2375.00	...	2375.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant is required for the following purposes:

(क) प्रति सांसद के वार्षिक आबंटन में बढ़ोतरी कर ₹2.00 करोड़ से ₹5.00 करोड़ कर दिए जाने के कारण सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत अतिरिक्त व्यय अपेक्षित है (₹2370.00 करोड़)। इसमें नगद व्यय होगा।

(a) Additional expenditure is required under the scheme 'Member of Parliament Local Area Development Scheme' due to the increase in the annual allocation from ₹2.00 crore to ₹5.00 crore per M.P. (₹2370.00 crore). This will entail cash outgo.

(ख) परियोजनाओं और कार्यक्रमों हेतु 'सशक्तीकरण, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन' योजना के तहत राज्य/जिला अधिकारियों को क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण, स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से मॉनीटरिंग हेतु अतिरिक्त व्यय अपेक्षित है (₹5.00 करोड़)। इसमें नगद व्यय होगा।

(b) Additional expenditure is required for monitoring through independent agencies, capacity building/training to State/District officials under the scheme 'Strengthening, Monitoring and Evaluation for Projects & Programmes' (₹5.00 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 93

कपड़ा मंत्रालय
MINISTRY OF TEXTILES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 देखिए)।

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	5767.48	88.27	5855.75	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted:	0.03	18.00	18.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted:	5767.51	106.27	5873.78

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2851-ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2851- Village and Small Industries	Voted:	0.01 (का)	...	0.01
2852-उद्योग	2852- Industries	Voted:	0.01 (खb)	...	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601- Grants-in-aid to State Governments	Voted:	0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	Voted:	0.03	...	0.03
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
6860-उपभोक्ता उद्योगों को ऋण	6860- Loans for Consumer Industries	Voted:	...	18.00 (घd)	18.00
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	Voted:	...	18.00	18.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	0.03	18.00	18.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है :

(क) हथकरघा बुनकर समेकित कल्याण योजना (₹ 26.50 करोड़), विपणन एवं निर्यात संवर्धन योजना (₹ 12.50 करोड़), विविधीकृत हथकरघा विकास योजना के तहत टीएसपी के लिए अनुदान (₹ 0.20 करोड़), एससीएसपी के तहत मिलगेट प्राइस योजना (₹ 5 करोड़) और टीएसपी के तहत (₹ 2 करोड़), रूपरेखा और तकनीकी उन्नयन (₹ 0.78 करोड़), टीएसपी के तहत (₹ 0.02 करोड़), कल्याण एवं अन्य योजनाएं (₹ 2.90 करोड़), कल्याण एवं अन्य योजनाओं के लिए अन्य प्रभार (₹ 0.10 करोड़), एससीएसपी (₹ 5 करोड़) और टीएसपी के तहत (₹ 0.55 करोड़), बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना (₹ 2.70 करोड़), विपणन सहायता और सेवाएं (₹ 2.80 करोड़), अनुसंधान एवं विकास (₹ 0.40 करोड़), मानव संसाधन विकास (₹ 0.82 करोड़), रेशम उद्योग के विकास के संबंध में अनुदान (₹ 8.80 करोड़) और पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 26.40 करोड़), विद्युतकरघा हेतु तकनीकी

The supplementary grant is sought for the following purposes:

(a) for providing additional grants for Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme (₹ 26.50 crore), Marketing and Export Promotion Scheme (₹ 12.50 crore), grants for TSP under Diversified Handloom Development Scheme (₹ 0.20 crore), Mill Gate Price Scheme under SCSP (₹ 5 crore) and under TSP (₹ 2 crore), Design and Technical Upgradation (₹ 0.78 crore) and under TSP (₹ 0.02 crore), Welfare and Other Scheme (₹ 2.90 crore), Other charges for Welfare and Other Schemes (₹ 0.10 crore) under SCSP (₹ 5 crore) and under TSP (₹ 0.55 crore), Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana (₹ 2.70 crore), Marketing Support and Services (₹ 2.80 crore), Research and Development (₹ 0.40 crore), Human Resource Development (₹ 0.82 crore), Grants towards

सेवा केन्द्र (₹ 2 करोड़), टीएसपी के तहत ऊन विकास बोर्ड (₹ 0.20 करोड़), बड़े समूहों के विकास के तहत पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 35.80 करोड़) और टीएसपी के तहत (₹ 0.69 करोड़) के लिए अतिरिक्त अनुदान मुहैया कराने हेतु।

(ख) एससीएसपी के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (₹ 2.50 करोड़) और टीएसपी के तहत (₹ 6 करोड़), एससीएसपी के तहत प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (₹ 128.50 करोड़) और टीएसपी के तहत (₹ 36 करोड़), एससीएसपी के तहत एकीकृत वस्त्र पार्क योजना के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4.50 करोड़), टीएसपी के तहत सरदार वल्लभभाई पटेल वस्त्र प्रबंधन संस्थान (₹ 0.40 करोड़), बाजार विकास एवं उत्पाद विविधीकरण योजना के तहत पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1 करोड़), सामान्य अनुपालन संहिता योजना (₹ 1 करोड़), मानव संसाधन विकास योजना (₹ 10.05 करोड़) और मानव संसाधन विकास योजना के तहत पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए (₹ 19.75 करोड़), जूट सहित तकनीकी वस्त्र (₹ 1.70 करोड़) और टीएसपी के तहत (₹ 0.30 करोड़), जूट सहित तकनीकी वस्त्र के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 5.10 करोड़) और टीएसपी के तहत (₹ 0.90 करोड़) और जूट प्रौद्योगिकी मिशन (₹ 8 करोड़) के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।

(ग) एकीकृत हथकरघा विकास योजना (₹ 33.45 करोड़), तथा एससीएसपी के तहत भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (₹ 1 करोड़) के लिए अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।

चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक मांगे गए हैं।

(घ) कम्पनी के अनुमोदित पुनर्सृजन योजना के अनुसार बकाया वेतन और मजदूरी तथा सांविधिक देय राशियों के भुगतान हेतु, ब्रिटिश कॉरपोरेशन के संशोधनों में अंतराल की पूर्ति हेतु। चूँकि अनुदान के राजस्व भाग से समतुल्य राशि की बचतें अभ्यर्पित की जाएँगी, अतः इस पूरक अनुदान में नकद व्यय नहीं होगा।

Development of Silk Industry (₹ 8.80 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 26.40 crore), Technical Service Centres for Powerloom (₹ 2 crore), Wool Development Board under TSP (₹ 0.20 crore), Grants for creation of capital assets under Development of Mega Clusters (₹ 35.80 crore) and under TSP (₹ 0.69 crore).

b) for providing additional grants-in-aid for National Institute of Fashion Technology under SCSP (₹ 2.50 crore) and under TSP (₹ 6 crore), Technology Upgradation Fund Scheme under SCSP (₹ 128.50 crore) and under TSP (₹ 36 crore), Grants for creation of capital assets for Scheme for Integrated Textiles Park under SCSP (₹ 4.50 crore), Sardar Vallabhbhai Patel Institute of Textile Management under TSP (₹ 0.40 crore), Grants for creation of capital assets under Market Development Product Diversification Scheme (₹ 1 crore), Common Compliance Code Scheme (₹ 1 crore). Human Resource Development Scheme (₹ 10.05 crore) and (₹ 19.75 crore) for Grants for creation of capital assets under Human Resource Development Scheme, Technical Textile including Jute (₹ 1.70 crore) and (₹ 0.30 crore) under TSP- Grants for creation of capital assets for Technical Textile including Jute (₹ 5.10 crore) and (₹ 0.90 crore) under TSP, and Jute Technology Mission (₹ 8 crore).

c) for providing additional grants-in-aid for Integrated Handloom Development Scheme (₹ 33.45 crore) and for Setting up of Indian Institute of Handloom Technology (₹ 1 crore) under SCSP.

As savings are available within the same Section of the Grant, token supplementaries are sought.

(d) For meeting the gap in resources of British India Corporation for payment of outstanding salaries and wages & statutory dues, as per approved revival plan of the company. As the savings of equivalent amount will be surrendered from the Revenue Section of the Grant, this supplementary will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.94

पर्यटन मंत्रालय
MINISTRY OF TOURISM

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 देखिए)।

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
स्वीकृत	Voted:	1166.75	4.01	1170.76	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.02	...	0.02	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
स्वीकृत	Voted:	1166.77	4.01	1170.78	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat Economic Services				
स्वीकृत	Voted:	...	0.01 (क) (a)	0.01	
3452-पर्यटन	3452-Tourism				
स्वीकृत	Voted:	...	0.01 (ख) (b)	0.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted:	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित उद्देश्यों हेतु अपेक्षित हैं:

The Supplementary Grants is sought for the following purposes:

(क) पालिका केन्द्र, नई दिल्ली में कार्यालय आवास के किराए के लिए व्यय की पूर्ति हेतु किराया, दरें और कर के तहत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है (₹ 15.40 करोड़)।

(a) The additional funds are required under Rent, Rates and Taxes to meet the expenditure for hiring of office accommodation at Palika Kendra, New Delhi (₹ 15.40 crore).

(ख) गुलमर्ग में भारतीय स्कीइंग एण्ड माउंटेनियरिंग संस्थान स्थापना के नए भवन के प्रचालन और रख-रखाव लागत की पूर्ति हेतु (₹ 1.00 करोड़)।

(b) To meet the operational and maintenance cost of new building of Indian Institute of Skiing and Mountaineering at Gulmarg (₹ 1.00 crore).

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.96

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 देखिए)।

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	2111.43	604.32	2715.75
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत	Voted:	35.56	...	35.56
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2147.00	604.32	2751.32	
	भारित	Charged:	0.01	...	0.01
	स्वीकृत	Voted:	2146.99	604.32	2751.31

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पोत परिवहन मंत्रालय	Ministry of Shipping			
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3051-पत्तन एवं द्वीप स्तंभ	3051-Ports and Light Houses			
	स्वीकृत	Voted:	...	35.56
				35.56

यह पूरक अनुदान पत्तन प्रबंधन बोर्ड की स्थापना संबंधी व्यय (₹35.56 करोड़) की पूर्ति हेतु माँगा गया है। इस पूरक अनुदान में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is sought for establishment related expenditure of Port Management Board (₹35.56 crore). This will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 101

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 127 देखिए)।

(See page 127 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
	भारति	Charged:	38.48	20.40	58.88
	स्वीकृत	Voted:	1232.50	5563.89	6796.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान		Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारति	Charged:	...	20.20	20.20
	स्वीकृत	Voted:	0.01	0.02	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)	1270.99	5604.51	6875.50
	भारति	Charged:	38.48	40.60	79.08
	स्वीकृत	Voted:	1232.51	5563.91	6796.42

II. इस पूरक विनियोग/अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Appropriation/Grant will be accounted for under the following Major Heads:

			आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग		REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
2217-शहरी विकास	स्वीकृत	2217-Urban Development	Voted:	...	0.01 (का)
पूंजी भाग		CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष		MAJOR HEAD			
4217-शहरी विकास पर	स्वीकृत	4217-Capital Outlay on Urban Development	Voted:	0.01 (खब)	...
6217-शहरी विकास के लिए ऋण	स्वीकृत	6217-Loans for Urban Development	Voted:	0.01 (गक)	...
7601-राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	भारति	7601-Loans and Advances to State Governments	Charged:	20.20 (घद)	...
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	Total (Supplementary)		20.22	0.01
	भारति		Charged:	20.20	...
	स्वीकृत		Voted:	0.02	0.01

यह पूरक विनियोग/अनुदान निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए अपेक्षित है:

The supplementary appropriation/grant is required for the following purposes:

- (क) (i) दिल्ली शहरी कला आयोग को "वेतन संबंधी सहायता अनुदान" प्रदान करने हेतु (₹1.44 करोड़).
- (ii) एनसीआर योजना बोर्ड को वेतन संबंधी सहायता अनुदान हेतु (₹2.30 करोड़).
- (iii) नगरपालिका के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र को "वेतन संबंधी सहायता अनुदान" प्रदान करने हेतु (₹ 5.59 करोड़).
- (iv) नेशनल इस्टीमेट ऑफ अर्बन अफेयर्स को "वेतन संबंधी सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 3.00 करोड़).

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (ख) पूर्व-पश्चिम गलियारे के चालू निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को इक्विटी निवेश के लिए अतिरिक्त राशि प्रदान करने हेतु (₹ 55.00 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

- (a) (i) For providing "Grants-in-aid-Salaries" to Delhi Urban Art Commission (₹ 1.44 crore).
- (ii) For providing "Grants-in-aid-Salaries" to N.C.R. Planning Board (₹ 2.30 crore).
- (iii) For providing "Grants-in-aid-Salaries" to Training Centre for Municipal Employees (₹ 5.59 crore).
- (iv) For providing "Grants-in-aid-Salaries" to National Institute of Urban Affairs (₹ 3.00 crore).

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (b) For providing additional amount for Equity Investment to Kolkata Metro Rail Corporation Limited for implementation of the on-going East-West Corridor (₹ 55.00 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- | | |
|---|---|
| <p>(ग) (i) पूर्व-पश्चिम गलियारे के चालू निर्माण कार्य के कार्यान्वयन के लिए कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पासथ्रू सहायता के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान करने हेतु (₹ 80.50 करोड़)।</p> <p>(ii) पूर्व-पश्चिम गलियारे के चालू निर्माण कार्य के कार्यान्वयन हेतु कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को अधीनस्थ ऋण के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान करने हेतु (₹16.50 करोड़)।</p> | <p>(c) (i) For providing additional amount as Pass Through Assistance for Kolkata Metro Rail Corporation Limited for implementation of the on-going East-West Corridor (₹ 80.50 crore).</p> <p>(ii) For providing additional amount as Subordinate Debt to Kolkata Metro Rail Corporation Limited for implementation of the on-going East-West Corridor (₹16.50 crore).</p> |
|---|---|

चूँकि अनुदान के इस-भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

- (घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम की योजना के लिए राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम प्रदान करने हेतु। चूँकि अनुदान के पूँजी (स्वीकृत) भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

- (d) For providing Loans & Advances to State Governments for the scheme of North Eastern Region Urban Development Programme (NERUDP). As an equivalent amount will be surrendered from the Capital (Voted) section of the Grant, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.102

लोक निर्माण कार्य
PUBLIC WORKS

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 देखिए)।

(See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00	
स्वीकृत	Voted:	1169.20	483.24	1652.44	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:				
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)				
भारित	Charged:	1.00	1.00	2.00	
स्वीकृत	Voted:	1169.21	483.24	1652.45	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works			
स्वीकृत	Voted:	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान राजघाट समाधि समिति को "वेतन संबंधी सहायता अनुदान" प्रदान करने हेतु अपेक्षित है (₹0.50 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for providing "Grant-in-aid Salaries" to Rajghat Samadhi Committee (₹0.50 crore). As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 103

लेखन सामग्री एवं मुद्रण
STATIONERY AND PRINTING

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 129 देखिए)।

(See page 129 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)			
			राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:		I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत		Voted:	253.11	0.13	253.24
इस समय आवश्यक रकम		Supplementary Estimate of			
का पूरक अनुमान		the amount now required:			
स्वीकृत		Voted:	...	3.55	3.55
जोड़ (मूल और पूरक)		Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत		Voted:	253.11	3.68	256.79

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
			Plan	Non-Plan	Total
पूंजी भाग			CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष			MAJOR HEAD		
4058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण			4058-Capital Outlay on		
पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत	Stationery and Printing	Voted:	...	3.55
				3.55	3.55

यह पूरक अनुदान मोटर वाहन (₹ 0.10 करोड़) और मशीनरी तथा उपस्कर (₹ 3.45 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित है। चूंकि अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग से समतुल्य राशि अभ्यर्पित की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for meeting additional expenditure on Motor vehicle (₹ 0.10 crore) and Machinery & Equipment (₹ 3.45 crore). As equivalent amount will be surrendered from the Revenue (Voted) Section of the Grant, there will be no cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO.104

जल संसाधन मंत्रालय
MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 देखिए)।

(See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित	Charged:	...	4.00	4.00
स्वीकृत	Voted:	1150.03	95.30	1245.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1150.04	99.30	1249.34
भारित	Charged:	...	4.00	4.00
स्वीकृत	Voted:	1150.04	95.30	1245.34

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head :

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2701-मुख्य और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation			
स्वीकृत	Voted:	0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान 'जल संसाधन विकास योजना का अन्वेषण' के तहत राष्ट्रीय जिस्पा और बुरसर परियोजनाएं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु आवश्यक है (₹ 56.20 करोड़)।

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for meeting the additional expenditure on preparation of Detailed Project Report of National Gyspa and Bursar Projects under 'Investigation of Water Resources Development Scheme' (₹ 56.20 crore).

As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO.105

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केन्द्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 131 देखिए)।

(See page 131 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत	Voted:	12733.00	...	12733.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत	Voted:	1500.00	...	1500.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)			
स्वीकृत	Voted:	14233.00	...	14233.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत दिखाया जाएगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

राजस्व भाग मुख्य शीर्ष		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
REVENUE SECTION				
MAJOR HEAD				
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत	2.00	...	2.00
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत	150.00	...	150.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	1338.25	...	1338.25
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत	9.75	...	9.75
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत	1500.00	...	1500.00
	Total (Supplementary)	Voted:		

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:

आंगनबाड़ी श्रमिकों और आंगनबाड़ी सहायकों के बढ़े हुए मानदेय दर पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु एकीकृत बाल विकास सेवाएं योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान। इसमें नगद व्यय होगा।

The Supplementary Grants are required for the following purpose:

Grants-in-aid General under the scheme Integrated Child Development Services to meet the additional expenditure on enhanced rate of honorarium to Anganwadi Workers and Anganwadi Helpers. This will entail cash outgo.

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2010-11 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2010-11.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2010-2011 Budget Estimates 2010-2011	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि तथा सहकारिता विभाग	आयोजना 2401-फसल कार्य 103-बीज 25-बीज के उत्पादन और वितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण 250035-पूँजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान			पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान जारी करने हेतु
	Department of Agriculture and Cooperation	PLAN 2401-Crop Husbandry 103-Seeds 25-Development and strengthening of Seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds 250035-Grants for creation of Capital assets	0.01	32.00	For release of grants for creation of capital assets.
		110-फसल बीमा 09- संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 090032-अंशदान 110-Crop Insurance 09-Modified National Agriculture Insurance Scheme 090032-Contributions	0.00	25.00	नवनिर्मित योजना के कार्यान्वयन हेतु For implementation of newly formulated scheme.
		111-कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी 24-कृषि आर्थिक नीति एवं विकास पर अध्ययन 240031-सामान्य सहायता अनुदान 111-Agricultural Economics and Statistics 24-Studies on input for Agricultural Economic Policy and Development 240031-Grants-in-aid-General	40.08	13.00	कार्यान्वयनकारी एजेन्सियों से अतिरिक्त आवश्यकता Additional requirements from implementing agencies.
		114-तिलहनों का विकास 11-एकीकृत तिलहन, ऑयलपाम, दलहन और मक्का विकास 110031-सामान्य सहायता अनुदान			कार्यान्वयनकारी एजेन्सियों से अतिरिक्त आवश्यकता

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		114-Development of Oil seeds			
		11-Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses & Maize Development			Additional requirements from implementing agencies.
		110031-Grants-in-aid-General	149.75	167.75	
		119-बागवानी और सब्जियों की फसल			
		06-राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड को सहायता अनुदान			
		060035-पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान			कार्यान्वयनकारी एजेंसियों से अतिरिक्त आवश्यकता
		119-Horticulture and Vegetable Crops			
		06-Grants in aid to National Horticulture Board			
		060035-Grants for creation of capital assets	0.01	30.00	Additional requirements from implementing agencies.
		39-राष्ट्रीय बाँस प्रौद्योगिकी और व्यापार विकास मिशन			कार्यान्वयनकारी एजेंसियों से अतिरिक्त आवश्यकता
		390031-सामान्य सहायता अनुदान			
		39-National Mission on Bamboo Technology and Trade Development			Additional requirements from implementing agencies.
		390031-Grants-in-aid-General	20.00	15.00	
		800-अन्य व्यय			
		38-राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना कृषि			
		38.99-सूचना प्रौद्योगिकी			
		389913-कार्यालय व्यय			कार्यान्वयनकारी एजेंसियों से अतिरिक्त आवश्यकता
		389931-सामान्य सहायता अनुदान			
		800-Other Expenditure			
		38-National E-Governance Plan-Agriculture			
		38.99-Informational Technology			
		389913-Office Expenses			Additional requirements from implementing agencies.
		389931-Grants-in-aid-General	0.00	6.00	
		2435-अन्य कृषि कार्यक्रम			
		01-विपणन एवं गुणवत्ता नियंत्रण			
		101-विपणन सुविधाएं			
		06-ग्रामीण गोदामों का निर्माण			कार्यान्वयनकारी एजेंसियों से अतिरिक्त आवश्यकता
		060031-सामान्य सहायता अनुदान			
		2435-Other Agricultural Programmes			
		01-Marketing & Quality Control			
		101-Marketing Facilities			
		06-Construction of Rural Godowns			Additional requirements from implementing agencies.
		060031-Grants-in-aid-General	89.74	20.00	
		3601-राज्य सरकारों सहायता अनुदान			
		03-केन्द्रीय आयोजना स्कीम हेतु अनुदान			
		438-फसल कार्य - कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी			
		04-कृषि सांख्यिकी में सुधार			कार्यान्वयनकारी एजेंसियों से अतिरिक्त आवश्यकता
		040031-सामान्य सहायता अनुदान			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		3601-Grants-in-aid to State Govt.			
		03-Grants for Central Plan Scheme			
		438-Crop Husbandry-Agricultural Economics & Statistics			
		04-Improvement of Agricultural Statistics			Additional requirements from States.
		040031-Grants-in-aid-General	64.70	27.30	
		04- केन्द्र द्वारा प्रायोजित आयोजना स्कीमों हेतु अनुदान			
		436-फसल कार्य - वाणिज्यिक फसलें			
		02-गहन कपास विकास कार्यक्रम और कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन			
		01-सामान्य क्षेत्र			कार्यान्वयनकारी एजेंसियों से अतिरिक्त आवश्यकता
		020031-सामान्य सहायता अनुदान			
		04- Grants for Centrally Sponsored Pland Schemes			
		436-Crop Husbandry-Commercial Crops			
		02-Intensive Cotton Development Programme and Technology Mission on Cotton			
		01-General areas			Additional requirements from States.
		020131-Grants-in-aid-General	6.00	9.79	
		453-तिलहनों का विकास			
		02-एकीकृत तिलहन, आयल पाम, दलहन और मक्का विकास			कार्यान्वयनकारी एजेंसियों से अतिरिक्त आवश्यकता
		020031-सामान्य सहायता अनुदान			
		453-Development of Oil seeds			
		02-Integrated Oilseed, Oil Palm, Pulses & Maize Development			Additional requirements from States.
		020031-Grants-in-aid-General	321.99	60.51	
2.	पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग	चारा विकास योजना (मु.शी.3601)			अतिरिक्त छह संघटकों के साथ योजना के संशोधन के कारण/इस प्रकार और अधिक प्रस्ताव राज्य सरकारों के पास जारी है।
	Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	Fodder Development Scheme (MH3601)	19.13	20.36	Due to modification of scheme with additional six components. Hence more proposals are in hand from State Governments.
		पशुरोग नियंत्रण			राज्य सरकारों से अधिक मांग के कारण
		Animal Disease Control	63.24	12.49	Due to more demands from States Governments.
		मौजूदा अस्पतालों/ओषधालयों का सशक्तीकरण (मु.शी.3601)			राज्य सरकारों से अधिक मांग के कारण
		Strengthening of existing hospitals/dispensaries (MH 3601)	45.00	22.96	Due to more demands from States Governments.
		समुद्री मछली, अवसंरचना और कटाई-पश्च क्रिया कलाप विभाग (मु.शी.3601)			राज्य सरकारों से अधिक मांग के कारण
		Development of Marine Fisheries, Infrastructure & Post Harvest Operations (MH 3601)	46.39	19.09	Due to more demands from States Governments.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		राष्ट्रीय मछुआरा कल्याण तथा मत्स्य प्रशिक्षण एवं विस्तार (मु.शी.3601) National Welfare of Fishermen and Fisheries Training & Extension (MH 3601)	18.77	10.05	राज्य सरकारों से अधिक मांग के कारण Due to more demands from States Governments.
		भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (मु.शी. 2405) Fishery Survey of India (MH 2405)	30.09	8.3336	योजना के विभिन्न उप-शीर्षों में अधिक मांग के कारण। Due to more demands in different sub heads of the Scheme.
3. भारी उद्योग विभाग		मु.शी. 2852.06.103.44.64 एचएमटी लि. की अनुमोदित पुनर्गठन योजना			एचएमटी लि. के संबंध में 27.11.2010 को देय जीओआईजी/वीआरएस बाण्डों पर प्रोदभूत ब्याज के रूप में व्यय की पूर्ति हेतु।
Department of Heavy Industry		M.H. 2852.06.103.44.64 Approved restructuring plan of HMT Ltd.	0.00	5.20	To meet the expenditure as interest accrued on GOIG/VRS Bonds which is due on 27.11.2010 in respect of HMT Ltd.
		मु.शी. 2852.80.800.22.31 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि.			माननीय उच्च न्यायालय के दि. 13.01.2005 के आदेश के अनुसार परिमापक और परामर्शदाता को दि. 1.1.2010 से 31.3.2011 की अवधि के लिए वेतन और अन्य प्रशासनिक व्यय की पूर्ति हेतु।
		M.H.2852.80.800.22.31 National Industrial Development Corp. Ltd.	0.00	0.12	To meet the expenditure on salary for a period 1.1.2010 to 31.3.2011 to the liquidator & consultant and other administrative expences as per order dt. 13.01.2005 of the Hon'ble High Court.
		मु.शी. 4858.60.190.05.54 इन्स्ट्रुमेंटेशन लि. में निवेश			44 कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु 3.5 प्रतिशत अधिमान शेयरों के निर्गम पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु।
		M.H.4858.60.190.05.54 Investment in Instrumentation Ltd.	0.00	5.00	To meet the expenditure incurred on issue of 3.5% preference shares for meeting the expenditure of VRS of 44 employees.
		मु.शी. 4858.60.190.05.54 इन्स्ट्रुमेंटेशन लि. में निवेश			12 एमडब्ल्यू आटोमेटिक्स सोलर फोटोवोल्टाइक के कार्यान्वयन हेतु राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एक इन्स्ट्रुमेंट्स लि. में इक्विटी निवेश के लिए आईएल के द्वारा 3.57 करोड़ रुपए उपयोग में लाए गए।
		M.H.4858.60.190.05.54 Investment in Instrumentation Ltd.	0.02	3.57	Rs. 3.57 cr. utilised by ILK for equity investment in Rajasthan Electronic & Instruments Ltd. for implementation of 12 MW automatics solar Photovoltaic.
		मु.शी. 4858.60.19.10.54 भारत भारी उद्योग निगम लि. (जीएससीएल) में निवेश			दि. 31.03.2009 की स्थिति के अनुसार मे. बर्न्स स्टैंडर्ड क. लि. (बीबीयूएनएल) की अनुषंगी इकाई की संविधिक देयताओं के उन्मोचन हेतु।

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		M.H. 4858.60.19.10.54 Investment in Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd. (BSCL)	0.00	25.43	To discharge the Statutory liabilities of M/s Burns standard Co. Ltd. (a subsidiary of BBUNL) as on 31.03.2009.
		मु. शी. 6858.60.190.09 सीपीएलई (आयोजना-भिन्न) में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति एवं सांविधिक देयराशियों का कार्यान्वयन			एचसीएल के 21 कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति संबंधी देयराशि के व्यय की पूर्ति हेतु और एचसीएल के कर्मचारियों को देय वेतन/मजदूरी/सांविधिक देय राशि के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।
		M.H.6858.60.190.09 Implementation of VRS & Statutory Dues in CPSEs (N-Plan)	0.00	108.96	To meet the expenses towards retirement dues of 21 employees of HCL and Salary/Wages/Statutory dues to the employees of HCL.
		मु. शी. 6858.60.190.25 सीपीएलई (आयोजना-भिन्न) में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति एवं सांविधिक देयराशियों का कार्यान्वयन			टीएसपीएल लि. में वेतन/मजदूरी के व्यय की पूर्ति हेतु।
		M.H.6858.60.190.25 Implementation of VRS & Statutory Dues in CPSEs (N-Plan)	0.00	2.43	To meet the expenditure of salary/ wages in TSPL Ltd.
		मु. शी. 6858.60.190.19 सीपीएलई (आयोजना-भिन्न) में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति एवं सांविधिक देयराशियों का कार्यान्वयन			एचएमटी के कर्मचारियों को देय वेतन/मजदूरी/सांविधिक देय राशि के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।
		M.H.6858.60.190.19 Implementation of VRS & Statutory Dues in CPSEs (N-Plan)	0.00	167.82	To meet the expenditure for Salary/ Wages/Statutory dues to the employees of HMT.
		मु. शी. 6858.60.190.14 सीपीएलई (आयोजना-भिन्न) में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति एवं सांविधिक देयराशियों का कार्यान्वयन			एआईएल के कर्मचारियों को देय वेतन/मजदूरी/सांविधिक देय राशि के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।
		M.H.6858.60.190.14 Implementation of VRS & Statutory Dues in CPSEs (N-Plan)	0.00	46.80	To meet the expenditure for Salary/ Wages/Statutory dues to the employees of SIL.
		मु. शी. 6860.05.190.01 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना एवं वेतन/मजदूरी/सांविधिक देय राशि का कार्यान्वयन			नेपा के कर्मचारियों को देय वेतन/मजदूरी/सांविधिक देय राशि के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।
		M.H.6860.05.190.01 Implementation of VRS & Salary/Wages Statutory dues	0.00	28.20	To meet the expenditure for Salary/ Wages/Statutory dues to the employees of NEPA.
		मु. शी. 6860.05.190.02 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना एवं वेतन/मजदूरी/सांविधिक देय राशि का कार्यान्वयन			एचपीसी (एनपीपीसी) के कर्मचारियों को देय वेतन/मजदूरी/सांविधिक देय राशि के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।
		M.H.6860.05.190.02 Implementation of VRS & Salary/Wages Statutory dues	0.00	3.61	To meet the expenditure for Salary/ Wages/Statutory dues to the employees of HPC (NPPC).

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		मु. शी. 6860.05.190.01 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना एवं वेतन/मजदूरी/सांविधिक देय राशि का कार्यान्वयन M.H.6860.06.216.01 Implementation of VRS & Salary/Wages Statutory dues	0.00	12.27	एचपीएफ के कर्मचारियों को देय वेतन/मजदूरी/सांविधिक देय राशि के लिए व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the expenditure for Salary/Wages/Statutory dues to the employees of HPF.
		मु. शी. 6860.60.190.24 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना एवं वेतन/मजदूरी/सांविधिक देय राशि का कार्यान्वयन M.H.6860.60.190.24 Implementation of VRS & Salary/Wages Statutory dues	0.00	2.88	टीएसएल के कर्मचारियों को देय वेतन/मजदूरी/सांविधिक देय राशि के लिए व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the expenditure for Salary/Wages/Statutory dues to the employees of TSL.
4. जल संसाधन मंत्रालय		2711.01.800.01 केन्द्रीय जल आयोग (आयोजना-भिन्न)			केन्द्रीय जल आयोग के कार्य प्रभारित स्टाफ के वेतन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।
Ministry of Water Resources		2711.01.800.01 Central Water Commission (N-Plan)	53.7687	7.4824	To meet expenditure of salary of Work Charged Staff of Central Water Commission.
		2701.80.002.01 केन्द्रीय जल आयोग (आयोजना-भिन्न)			केन्द्रीय जल आयोग के कार्य प्रभारित स्टाफ के वेतन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।
		2701.80.002.01 Central Water Commission (N-Plan)	65.1320	14.5130	To meet expenditure of salary of Work Charged Staff of Central Water Commission.
		2701.80.004.01 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (आयोजना-भिन्न)			राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए।
		2701.80.004.01 National Institute of Hydrology (N-Plan)	6.50	3.30	To meet expenditure of salary of employees of National Institute of Hydrology.
		2701.80.002.01 केन्द्रीय जल आयोग (आयोजना-भिन्न)			राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए।
		2701.80.002.01 Central Water Commission (N-Plan)	65.1320	6.0082	To meet expenditure of salary of employees of Central Water Commission.
		2711.01.800.01 केन्द्रीय जल आयोग (आयोजना-भिन्न)			केन्द्रीय जल आयोग के कर्मचारियों के वेतन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।
		2711.01.800.01 Central Water Commission (N-Plan)	53.7687	6.4658	To meet expenditure of salary of employees of Central Water Commission.

वर्ष 2011-12 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits during 2011-12.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2011-2012 Budget Estimates 2011-2012	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
5.	पुलिस	राष्ट्रीय पुलिस अकादमी 2055-पुलिस (मु.शी.) 00.003-शिक्षा और प्रशिक्षण (लघु शीर्ष) 01-राष्ट्रीय पुलिस अकादमी 01.02.50-अन्य प्रभार National Police Academy 2055-Police (MH) 00.003-Education & Training (Min. Head) 01-National Police Academy 01.02.50-Other Charges	200.00	2000.00	2011-12 के दौरान अनुसंधान परियोजनाओं पर हुए व्यय की पूर्ति हेतु। To meet expenses incurred on Research Projects during 2011-12.
	Police				
6.	सड़क, परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	सड़क स्कन्ध तथा सीमा सड़क संगठन 5054-सड़क तथा पुलों पर पूंजी परिव्यय (मुशी) 01-राष्ट्रीय राजमार्ग (उप मुंशी) 01.337-सड़क निर्माण कार्य (लघु शीर्ष) 01-सड़क स्कन्ध के अन्तर्गत निर्माण कार्य 01.02-अन्य योजनाएं 01.02.53-मुख्य निर्माण कार्य 02-पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम 02.02-बीआरडीबी के अन्तर्गत निर्माण कार्य 02.02.53-मुख्य निर्माण कार्य 02.03-सड़क, स्कन्ध/राज्य सा.नि.वि. के अन्तर्गत निर्माण कार्य 02.03.20-अन्य प्रशासनिक व्यय 02.03.53-मुख्य निर्माण कार्य 02-सामरिक तथा सीमा सड़क (उप मुशी) 02.337-सड़क निर्माण कार्य (लघु शीर्ष) 03-बीआरडीबी के अन्तर्गत निर्माण कार्य 03.00.53-मुख्य निर्माण कार्य			पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी मामलों के सम्बन्ध में उस क्षेत्र के लिए निर्धारित निधियों में से क्षेत्र की परियोजना/स्कीमों पर व्यय की पूर्ति हेतु।
	Ministry of Road Transport & Highways	Road Wing and Border Roads Organisation 5054-Capital Outlay on Roads & Bridges (MH) 01-National Highways (Sub MH) 01.337 - Road Works (Minor Head) 01-Works under Road Wing 01.02 Other Schemes 01.02.53-Major Works 02-Special Accelerated Road Development Programme in North Eastern Areas	0.00	160.00	To meet expenditure on Project/ Schemes in the North Eastern Region out of funds earmarked for that Region in respect of all the cases.

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)					
1	2	3	4	5	6
		02.02-Works under BRDB			
		02.02.53-Major Works	0.00	390.00	
		02.03-Works under Road Wing/ State PWDs			
		02.03.20-Other Administrative Expenses	0.00	10.00	
		02.03.53-Major Works	0.00	1200.00	
		02-Strategic and Border Roads (Sub MH)			
		02.337-Road Works (Minor Head)			
		03-Works under BRDB			
		03.00.53-Major Works	0.00	230.00	